30

सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति

(2021-2022)

(सत्रहवीं लोक सभा)

जनजातीय कार्य मंत्रालय

अनुदानों की मांगें

(2022-23)

तीसवां प्रतिवेदन

सत्यमेव जयते

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

मार्च, 2022/ फाल्गुन 1943, (शक)

तीसवां प्रतिवेदन

सामाजिक न्याय और अधिकारिता
संबंधी स्थायी समिति
(2021-2022)

(सत्रहवीं लोक सभा)
जनजातीय कार्य मंत्रालय

अनुदानों की मांगें
(2022-23)
14.03.2022 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया।
14.03.2022 को राज्य सभा के पटल पर रखा गया।

सत्यमेव जयते

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मार्च, 2022/ फाल्गुन 1943, (शक)

विषय-सूची

		पृष्ठ सं.
समिति (2021-22) की संरचना		(iii)
प्राक्कथन		(iv)
	प्रतिवेदन	
अध्याय एक	**प्रस्तावना**	1
अध्याय दो	**बजटीय आवंटन और उपयोग**	4
अध्याय तीन	**जनजातीय छात्रों के लिए मैट्रिक पूर्व और मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजनाएं**	12
अध्याय चार	**राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति विद्यार्थी उच्च शिक्षा अध्येतावृत्ति**	24
अध्याय पांच	**अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति**	29
अध्याय-छह	**विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) का विकास**	34
अध्याय-सात	**जनजातीय अनुसंधान संस्थानों (टीआरआई) के लिए सहायता**	40
अध्याय-आठ	**लघु वन उपज (एमएफपी) का विपणन तथा एमएफपी के लिए मूल्य श्रृंखला**	48
अध्याय - नौ	**जनजातीय उप-योजना को विशेष केंद्रीय सहायता (टीएसएस को एससीए): (प्रधानमंत्री एएडीआई आदर्श ग्राम योजना)**	58
अध्याय- दस	**राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग**	68
	अनुबंध	
***1**	**सामाजिक न्याय संबंधी स्थायी समिति** (2021-**22) की 17.02.2022 को हुई पांचवीं बैठक का कार्यवाही सारांश।**	
***2**	**सामाजिक न्याय संबंधी स्थायी समिति** (2021-**22) की 11.03.2022 को हुई आठवीं बैठक का कार्यवाही सारांश।**	
	परिशिष्ट	
	***टिप्पणियों/सिफारिशों का विवरण**	

सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति

(2021-22) का गठन

श्रीमती रमा देवी - सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. श्री दीपक (देव) अधिकारी
3. श्रीमती संगीता आजाद
4. श्री भोलानाथ 'बी.पी. सरोज'
5. श्रीमती प्रमिला बिसाई
6. श्री थोमस चाजिकाडन
7. श्री छतरसिंह दरबार
8. श्री वाई. देवेन्द्रप्पा
9. श्रीमती मेनका संजय गांधी
10. श्री हंस राज हंस
11. श्री के.षणमुग सुंदरम
12. श्री अब्दुल खालेक
13. श्रीमती रंजीता कोली
14. श्रीमती गीता कोड़ा
15. श्री विजय कुमार
16. श्री अक्षयवर लाल
17. श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद
18. श्री अर्जुन सिंह
19. श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले
20. श्रीमती रेखा अरुण वर्मा
21. श्री तोखेहो येपथोमी

राज्य सभा

22. श्री एम.मोहम्मद अब्दुल्ला
23. श्रीमती झरना दास बैद्य
24. श्रीमती रमिलाबेन बेचारभाई बारा
25. श्री अबीर रंजन बिस्वास
26. श्रीमती गीता उर्फ चन्द्रप्रभा
27. श्री एन. चंद्रशेखरन
28. श्री नारायण कोरागप्पा
29. श्रीमती ममता मोहंता
30. श्रीमती छाया वर्मा
31. श्री रामकुमार वर्मा

सचिवालय

1. श्रीमती अनीता बी. पांडा	-	संयुक्त सचिव
2. श्रीमती ममता केमवाल	-	निदेशक
3. श्री कृषेन्द्र कुमार	-	उप सचिव

प्राक्कथन

मैं, सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति (2021-2022) की सभापति, समिति द्वारा प्राधिकृत किए जाने पर उसकी ओर से जनजातीय कार्य मंत्रालय की 'वर्ष 2022-23 के लिए अनुदानों की मांगों' संबंधी यह 30वां प्रातिवेदन प्रस्तुत करती हूं।

2. समिति ने जनजातीय कार्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2022-23) पर विचार किया जिसे 07 फरवरी, 2022 को सभा पटल पर रखा गया था। बजट दस्तावेज और व्याख्यात्मक टिप्पण प्राप्त करने के बाद समिति ने 17 फरवरी, 2022 को जनजातीय कार्य मंत्रालय के प्रतिनिधियों का साक्ष्य लिया। समिति ने दिनांक 11 मार्च, 2022 को हुई बैठक में प्रतिवेदन पर विचार किया और उसे स्वीकार किया।

3. समिति 'अनुदानों की मांगों (2022-23)' की जांच के संबंध में साक्ष्य देने और सूचना देने के लिए समिति के समक्ष उपस्थित होने के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय के अधिकारियों को धन्यवाद देना चाहती है ।

4. संदर्भ सुविधा के लिए समिति की टिप्पणियों और सिफारिशों को प्रतिवेदन के मुख्य भाग में मोटे अक्षरों में मुद्रित किया गया है।

नई दिल्ली;
11 मार्च, 2022
20 फाल्गुन, 1943 (शक)

रमा देवी,
सभापति,
सामाजिक न्याय और अधिकारिता
संबंधी स्थायी समिति

प्रतिवेदन

अध्याय - एक

प्रस्तावना

1.1. जनजातीय कार्य मंत्रालय का गठन 1999 में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वि-विभाजन के उपरांत किया गया था और इसका उद्देश्य एक समन्वित और सुनियोजित तरीके से भारतीय समाज के अत्यंत वंचित वर्ग अर्थात् अनुसूचित जनजातियों (अजजा) के समेकित सामाजिक-आर्थिक विकास पर अधिक ध्यान केन्द्रित करना है। मंत्रालय के कार्यक्रम और स्कीमें अन्य केन्द्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और आंशिक रूप से स्वैच्छिक संगठनों के प्रयासों को वित्तीय सहायता के माध्यम से आलम्बन प्रदान करने और उनकी संपूर्ति के लिए तथा अनुसूचित जनजातियों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए संस्थानों और कार्यक्रमों में महत्वपूर्ण अंतरों को पाटने हेतु अभिप्रेत हैं। आर्थिक, शैक्षिक और सामाजिक विकास के लिए ये स्कीमें जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा प्रशासित की जाती हैं और इनका कार्यान्वयन मुख्यतः राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के माध्यम से और संस्थान निर्माण के माध्यम से किया जाता है।

1.2. जनजातीय कार्य मंत्रालय ने भारत सरकार (कार्य आबंटन) नियमावली, 1961 के अंतर्गत आवंटित विषयों के अंतर्गत आने वाले क्रियाकलाप किए हैं, जो निम्नानुसार हैं:

1. अनुसूचित जनजातियों के संबंध में सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा।
2. जनजातीय कल्याण: जनजातीय कल्याण आयोजना, परियोजना तैयार करना, अनुसंधान, मूल्यांकन, सांख्यिकी और प्रशिक्षण;
3. जनजातीय कल्याण से संबद्ध स्वयंसेवी प्रयासों का संवर्धन एवं विकास,
4. अनुसूचित जनजातियों सहित ऐसी जनजातियों से संबंधित विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति,
5. अनुसूचित जनजातियों का विकास

5 क. वन भूमियों पर वन निवासी अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों से संबंधित विधान सहित सभी मामले।

6. (क) अनुसूचित क्षेत्र;

   (ख) राज्य के राज्यपालों द्वारा अनुसूचित क्षेत्रों के लिए तैयार किये गये विनियमः

7. (क) आयोग, अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के प्रशासन के संबंध में रिपोर्ट देगा; तथा

(ख) किसी भी राज्य में अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए आवश्यक योजनाओं को तैयार करने तथा उनके कार्यान्वयन के संबंध में दिशा-निर्देशों के मुद्दे।

8. राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग;

9. अनुसूचित जनजातियों से संबद्ध अपराधों के मामलों में आपराधिक न्याय के प्रशासन को छोड़कर नागरिक अधिकारों का संरक्षण अधिनियम, 1955 (1955 का 22) और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचारों की रोकथाम) अधिनियम, 1989 (1989 का 33) का कार्यान्वयन।

10. नीति आयोग द्वारा डिजाइन किए गए फ्रेमवर्क (ढ़ांचे) और मेकेनिजम (तंत्र) के आधार पर जनजातीय उप-योजना की मॉनीटरिंग।

1.3. राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग मंत्रालय के अधीन एक संवैधानिक निकाय है। इसके अलावा, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम (एनएसटीएफडीसी), जनजातीय छात्रों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा सोसायटी (एनईएसटीएस) और भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास परिसंघ लिमिटेड (ट्राईफेड) मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन अन्य संगठन हैं।

(क) राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एनसीएसटी) संविधान के अनुच्छेद 338 में संशोधन करके तथा नए अनुच्छेद 338-क का अंतर्निवेश करके दिनांक 19 फरवरी, 2004 को संविधान (89वां संशोधन) अधिनियम, 2003 के माध्यम से राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना की गई थी। आयोग के मुख्य कर्त्तव्य-अनुसूचित जनजातियों को दिए गए सुरक्षा उपायों से संबंधित सभी मामलों की जांच-पड़ताल करना और उनकी निगरानी करना तथा ऐसे सुरक्षा उपायों के कार्यों का मूल्याकंन करना है और अनुसूचित जनजातियों को अधिकारों से वंचित करने और सुरक्षा उपायों के संबंध में विशिष्ट शिकायतों की जांच करना है। आयोग के पास अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों और सुरक्षापायों के वंचन से संबंधित किसी शिकायत के बारे में पूछताछ करते समय अथवा किसी मामले के संबंध में, जांच-पड़ताल करते समय सिविल न्यायालय के सभी अधिकार निहित हैं। एनसीएसटी का कार्यालय लोक नायक भवन, खान मार्केट नई दिल्ली में स्थित है।

(ख) राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम (एनएसटीएफडीसी) 10.04.2001 को स्थापित एक शीर्ष संगठन है, जो विशेष रूप से अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक विकास के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय के तहत एक सरकारी कंपनी के रूप में शामिल किया गया था। यह निगम रियायती ब्याज दरों पर अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक उत्थान के लिए ऋण सहायता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कंपनी मंत्रालय के साथ प्रतिवर्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करती है और उसके

अंतर्गत मानदंडों के आधार पर कंपनी के कार्य-निष्पादन की आवधिक रूप से समीक्षा की जाती है।

(ग) जनजातीय कार्य मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संगठन, जनजातीय छात्रों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा सोसायटी (एनईएसटीएस) को एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूलों की स्थापना, सहायता, रखरखाव, नियंत्रण और प्रबंधन करने और ऐसे स्कूलों के प्रचार के लिए आवश्यक या अनुकूल सभी चीजों और कार्यों को करने के लिए 1 अप्रैल 2019 को नई दिल्ली में सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम XXI 1860 के तहत एक सोसाइटी के रूप में पंजीकृत किया गया है।

(घ) भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ लिमिटेड (ट्राइफेड) 1987 में बहु राज्य सहकारी समिति अधिनियम, 1984 (अब बहु राज्य सहकारी समिति अधिनियम, 2002) के तहत स्थापित एक बहु राज्य सहकारी समिति है, जो सेवा प्रदाता और जनजातीय उत्पादों के लिए बाजार विकासकर्ता दोनों के रूप में कार्य करती है। यह देश में अपने खुदरा आउटलेट 'ट्राइब्स इंडिया के नेटवर्क के माध्यम से जनजातीय उत्पादों का विपणन करता है। क्षमता निर्माता के रूप में, यह अनुसूचित जनजाति के कारीगरों और लघु वनोपज (एमएफपी) संग्रहकर्ताओं को प्रशिक्षण भी प्रदान करता है।

अध्याय - दो

बजटीय आवंटन और उपयोग

2.1 जनजातीय कार्य मंत्रालय की वर्ष 2022-23 के लिए अनुदान मांगें मांग संख्या 100 के अंतर्गत दी गई है। मंत्रालय की विस्तृत अनुदान मांगें 7 फरवरी, 2022 को संसद में प्रस्तुत की गई थी।

2.2 मंत्रालय देश में जनजातीय लोगों के विकास के लिए समग्र प्रयासों में योगदान करने हेतु संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत दो विशेष क्षेत्र कार्यक्रमों अर्थात् जनजातीय उप-योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता (टीएसएस को एससीए) और सहायता अनुदान के अलावा विभिन्न केन्द्रीय क्षेत्र और केंद्र प्रायोजित योजनाओं का संचालन करता है। मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की गई स्कीमों की सूची निम्नानुसार दी गई है:

1. केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस):

क्र.सं.	योजना
1-2	अनुसूचित जनजातियों के लिए मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति और मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति
3	जनजातीय अनुसंधान संस्थान को सहायता
4	विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) का विकास
5	जनजातीय उप-योजना को विशेष केंद्रीय सहायता (टीएसएस को एससीए)
6	संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के तहत राज्यों को अनुदान

2. केंद्रीय क्षेत्र योजना:

क्र.सं.	**योजना**
1	एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस)
2	अनुसूचित जनजाति के छात्रों की उच्चतर शिक्षा के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृति और छात्रवृत्ति
3	अनुसूचित जनजाति के छात्रों को विदेशों में पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति
4	अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान
5.	राष्ट्रीय/राज्य अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम को सहायता

6	जनजातीय उत्पादों के विपणन और विकास के लिए संस्थागत समर्थन (ट्राईफेड आदि) और न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के माध्यम से लघु वनोपज (एमएफपी) के विपणन के लिए तंत्र और एमएफपी के लिए मूल्य श्रृंखला का विकास
7	जनजातीय महोत्सव, अनुसंधान सूचना और जन शिक्षा
8.	निगरानी और मूल्यांकन

2.3 मंत्रालय ने विभिन्न केंद्र प्रायोजित योजनाओं और केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के तहत बजट अनुमान 2022-23 में वित्त मंत्रालय को 13208.52 करोड़ रुपये की राशि का प्रस्ताव दिया था। 13208.52 करोड़ रुपये की प्रस्तावित राशि में से वित्त मंत्रालय ने 8406.92 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की है। इन योजनाओं के तहत बजट अनुमान, मंत्रालय द्वारा किए गए प्रस्ताव और वित्त मंत्रालय द्वारा प्रदान की गई उच्चतम सीमा के अनुसार किए गए आवंटन का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	**योजना का नाम**	**मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित बीई 2022-23**	**बीई 2022-23 वित्त मंत्रालय द्वारा प्रदान किया गया**
1	मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति	422.53	419.00
2	पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति	1984.93	1965.00
3	विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) का विकास	265.30	252.00
4	जनजातीय अनुसंधान सूचना, शिक्षा, संचार और कार्यक्रम (टीआरआई-ईसीई)	25.00	15.00
5	निगरानी, मूल्यांकन, सर्वेक्षण, सामाजिक लेखा परीक्षा (मेसा)	20.00	15.00
6	जनजातीय क्षेत्रों में विकास कार्यक्रम (ईएपी)	0.01	0.00
7	जनजातीय उप योजनाओं को विशेष केन्द्रीय सहायता	1473.50	1354.38
8	जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को सहायता	128.59	121.00
9	संविधान के अनुच्छेद 275(1) के परंतुक के तहत योजना	1500.00	1350.00
10	संविधान के अनुच्छेद 275(1) के दूसरे प्रावधान के खंड ए के तहत असम सरकार को अनुदान	0.01	0.01
11	अनुसूचित जनजाति के छात्रों की उच्च शिक्षा के लिए राष्ट्रीय फैलोशिप और छात्रवृत्ति	145.00	145.00
12	राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति योजना	4.00	4.00
13	अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता	110.00	110.00

14	एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस)	6509.11	2000.00
15	प्रधानमंत्री जनजाति विकास मिशन (पीएमजेवीएम)	499.00	499.00
16	अनुसूचित जनजातियों के लिए उद्यम पूंजी कोष	50.00	50.00
17	पूर्वोत्तर क्षेत्र से जनजातीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए विपणन और रसद विकास	71.53	107.53
	कुल योग	**13208.52**	**8406.92**

2.4. मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं हेतु 2022-23 के लिए बजटीय अनुमान के साथ-साथ विगत तीन वर्षों के लिए बजटीय अनुमान (ब.अ.), संशोधित अनुमान (सं.अ.) और वास्तविक व्यय इस प्रकार हैं:-

(₹ करोड़ में)

2019-20			**2020-21**			**2021-22**			**2022-23**
ब.अ.	सं.अ.	व्यय	ब.अ.	सं.अ.	व्यय	ब.अ.	सं.अ.	व्यय (31 जनवरी 2022 तक)	ब.अ.
6847.89	7293.66	7288.74	7355.76	5472.50	5461.67	7484.07	6126.46	3874.00	8406.92

2.5. विगत 3 वर्षों के दौरान योजना परिव्यय और वास्तविक व्यय के योजना-वार ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण निम्नानुसार है:-

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	**योजना का नाम**	**2019-20**			**2020-21**			**2021-22**		
		बीई	**आरई**	**व्यय**	**बीई**	**आरई**	**व्यय**	**बीई**	**आरई**	**व्यय (31.01.22 तक)**
1	टीएसपी को एससीए	1350.00	1350.00	1349.86	1350.00	800.00	799.49	1350.00	785.00	3.42
2	अनुच्छेद 275 (1) के तहत अनुदान	2662.56	2662.55	2662.53	1350.01	800.00	800.00	1350.01	900.00	364.05
3	एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस)	0.31	16.22	16.21	1313.23	1200.00	1200.00	1418.04	1057.74	767.70
4	एनएसटीएफडीसी को सहायता	80.00	80.00	80.00	150.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
5	वन बंधु कल्याण योजना	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	अनुसूचित जनजातियों के लिए काम करने वाले स्वैच्छिक संगठनों को सहायता	110.00	110.00	94.84	110.00	60.00	59.66	110.00	90.00	46.39

7	विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह का विकास (पीवीटीजी)	250.00	250.00	250.00	250.00	140.00	140.00	250.00	160.00	143.03
8	जनजातीय उत्पादों के विकास और विपणन हेतु संस्थागत सहायता	83.00	128.50	128.50	140.00	105.00	105.00	150.00	120.00	56.50
9	जनजातीय अनुसंधान संस्थान (टीआरआई) को समर्थन	100.00	110.00	109.98	110.00	60.00	60.00	120.00	60.00	34.89
10	लघु वनोपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी)	130.00	190.00	164.64	152.51	85.74	82.86	155.00	115.00	57.50
11	एसटी छात्रों की उच्च शिक्षा के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति और छात्रवृत्ति	100.00	100.00	99.89	100.00	120.00	120.00	150.00	120.00	106.38
12	विदेश में अध्ययन के लिए एसटी छात्रों को छात्रवृत्ति	2.00	2.00	1.90	2.00	4.76	4.76	3.00	5.00	5.64
13	मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति	340.00	440.00	440.00	400.00	250.00	248.90	400.00	400.00	389.18
14	मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति	1613.50	1826.39	1863.33 *	1900.00	1833.00	1830.18	1993.00	2257.72	1892.19
15	जनजातीय महोत्सव, अनुसंधान सूचना और सामूहिक शिक्षा	24.00	24.00	23.23	24.00	12.00	9.00	30.00	15.00	5.07
16	निगरानी और मूल्यांकन	2.50	4.00	3.83	4.00	2.00	1.82	5.00	5.00	2.06
17	जनजातीय क्षेत्रों के विकास कार्यक्रम में सुधार	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
18	पूर्वोत्तर क्षेत्र से जनजातीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए विपणन और रसद विकास	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	0.00
	कुल- योजनाएं	**6847.89**	**7293.66**	**7288.74**	**7355.76**	**5472.50**	**5461.67**	**7484.07**	**6126.46**	**3874.00**

***पूरक बजट के आवंटन के बाद व्यय किया गया है।**

2.6. उन कारणों के बारे में पूछे जाने पर जिनके कारण आरई चरण में 2020-21 और 2021-22 में बजट अनुमानों को कम किया गया था और इन संशोधित अनुमानों को भी इस अवधि के दौरान खर्च नहीं किया जा सका था, जनजातीय कार्य मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में निम्नवत बताया:

"यह नोट किया जा सकता है कि संशोधित अनुमानों के आकलन के बाद वित्त मंत्रालय द्वारा 2020-21 और 2021-22 के दौरान मंत्रालय के लिए बीई को

कम कर दिया गया था। सरकारी और गैर-सरकारी दोनों कार्यान्वयन एजेंसियां चल रही महामारी के कारण कार्यक्षेत्र स्तर की गतिविधियों को पूरी तरह से करने में सक्षम नहीं थीं, जिसके कारण योजनाओं के कार्यान्वयन में मंदी आई थी। तथापि, यह मंत्रालय 15.02.2022 तक पहले ही 4070.04 करोड़ रुपये खर्च कर चुका है। निधियों को बजट के अनुसार जारी नहीं किया जा सका क्योंकि राज्य पहले जारी किए गए धन का उपयोग नहीं कर सके और यूसी जमा नहीं कर सके। अन्यथा, मंत्रालय पूर्व में पूरे बजटीय प्रावधान को खर्च करता रहा है।"

2.7. जब समिति ने पूछा कि क्या मंत्रालय 2021-22 के लिए बजटीय आवंटन को पूरा खर्च करने में सक्षम होगा क्योंकि मंत्रालय 31 जनवरी, 2022 तक केवल 3,874.00 करोड़ रुपये खर्च करने में सक्षम रहा है, इस पर जनजातीय कार्य मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में बताय कि:

"मंत्रालय पिछले वित्तीय वर्षों के लिए बजट अनुमान के तहत आवंटित राशि को खर्च करने में सक्षम रहा है और चालू वित्तीय वर्ष के लिए आरई के तहत स्वीकृत राशि का उपयोग करने में सक्षम होगा। चूंकि पिछले निर्मुक्ति के संबंध में कई राज्यों से उपयोगिता प्रमाण पत्र लंबित हैं, इसलिए निर्मुक्ति उतनी नहीं हुई जितनी उम्मीद थी। कमी को मार्च, 2022 तक पूरा किया जाएगा।"

2.8. समिति के समक्ष साक्ष्य के दौरान जनजातीय कार्य मंत्रालय के प्रतिनिधि द्वारा विचार-विमर्श के दौरान समिति को आगे बताया गया कि:

"अगर आप इस बार योजनाओं को देखेंगे तो इस बार शिक्षा, जीविका और इंफ्रास्ट्रक्चर पर खास जोर दिया गया है। पहले यह होता था कि एक गैप-फीलिंग टाइप अरेंजमेंट होता था, पर अभी जो हमारी स्कीम्स हैं, चाहे वह शिक्षा की योजना हो, वह भी एक तरह से फुल फ्लेजेड स्कीम है, जिसे मंत्रालय इम्प्लीमेंट करेगा। दूसरा, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, 36,428 गांव हैं, उसे भी मंत्रालय करेगा। तीसरा, जैसा कि आप जानती हैं, माननीय समिति ने पिछले साल एस.टी. कॉम्पोनेंट के बारे में बोला था। उस कॉम्पोनेंट का बेस्ट यूटीलाइज कैसे कर सकते हैं, इसमें बहुत मेहनत हुई है।"

2.9. यह पूछे जाने पर कि क्या 2022-23 के बजटीय अनुमान वर्ष की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त हैं और यह सुनिश्चित करने के लिए क्या पहलें की गई है कि किया गया आवंटन पूरी तरह से खर्च किया जाता है ताकि आवंटन के उद्देश्यों को पूरा किया जा सके, इस पर जनजातीय कार्य मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर बताया कि:

"चूंकि मंत्रालय ने विगत में विभिन्न योजनाओं के तहत इतनी ही राशि खर्च की है, इसलिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को प्रत्येक योजना के लिए दिशानिर्देशों के अनुसार आवंटन

करने का प्रस्ताव है। चूँकि तुलनीय राशियाँ पहले के वर्षों में आवंटित की गई हैं, और योजना के दिशा-निर्देश आवंटन के लिए स्पष्ट मानदंड प्रदान करते हैं, इसलिए योजनाओं के संबंध में आवंटन करने में कोई कठिनाई की संभावना नहीं है। उच्चतम स्तर पर व्यय की आवधिक समीक्षा की जाती है और राज्यों को जारी की गई राशि का उपयोग करने और समय पर उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा करने के लिए आश्वस्त किया जाता है।"

2.10. वित्त मंत्रालय से बजटीय आवंटन की आवश्यकता को प्रस्तुत करने के लिए किन मापदंडों का ध्यान रखा जाता है और वे कौन से कारण हैं जिससे वित्त मंत्रालय द्वारा अनुमानों को काफी हद तक कम कर दिया जाता है जिसे बाद में संशोधित अनुमान स्तर पर और घटा दिया जाता है, के साथ-साथ इस प्रथा को रोकने के लिए किए गए उपायों के बारे में पूछे जाने पर, जनजातीय कार्य मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में बताया कि:

"मंत्रालय की कई योजनाएं मांग आधारित हैं। राज्यों द्वारा पिछली निर्मुक्ति के लिए यूसी और पीपीआर जमा करने के आधार पर धनराशि जारी की जाती है। कुछ राज्य इसे जमा नहीं कर पाए हैं, जिसके परिणामस्वरूप उनका आवंटन पूरी तरह से जारी नहीं किया गया है। तथापि, ऐसे राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अप्रयुक्त रहने वाले आवंटन बेहतर प्रदर्शन करने वाले राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को पुन: आवंटित किए जाते हैं। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, योजना दिशानिर्देश निधियों के आवंटन के लिए स्पष्ट मानदंड प्रदान करते हैं, इन सभी कारकों को ध्यान में रखते हुए वित्त मंत्रालय को अनुमान उपलब्ध कराए जाते हैं। इसके अलावा, यह नोट किया जा सकता है कि, वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान, बजट आवंटन को आरई चरण में बढ़ाया गया था और यह मंत्रालय अपने बजट अनुमान का लगभग 106% खर्च करने में सक्षम था।"

2.11. समिति इस तथ्य की सराहना करती है कि जनजातीय कार्य मंत्रालय ने हाल ही में जनजातीय आबादी के समग्र कल्याण के साथ-साथ सामाजिक-आर्थिक और शैक्षिक सशक्तिकरण के लिए उनकी योजनाओं पर अधिक ध्यान केंद्रित दृष्टिकोण दिखाया है। साक्ष्यों के दौरान मंत्रालय के प्रतिनिधियों के बयान से यह पता चला कि मंत्रालय ने जनजातीय क्षेत्रों का बहुप्रतीक्षित असमानता विश्लेषण किया और शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, कौशल विकास, रोजगार, आवास, सड़क संपर्क, पेयजल, बिजली आदि जैसे क्षेत्रों में असमानता की पहचान करने और बाद में उन्हें दूर के लिए विभिन्न मंत्रालयों के तहत चलाई जा रही 265 योजनाओं का अवलोकन किया जिससे पता चला कि अनुसूचित जनजाति की आबादी वाले लगभग 1,17,000 आदिवासी गांव हैं जहां इस तरह की असमानता मौजूद हैं। समिति नोट करती है कि इसके बाद जनजातीय कार्य मंत्रालय ने अपनी कुछ पुरानी प्रमुख योजनाओं को 2020-2026 की अवधि के लिए 'प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना' और 'प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन' नमक दो योजनाओं में बदल/जोड़ दिया है, जिसमें विशिष्ट बजटीय आवंटन, मापन योग्य संकेतक, असमानता आधारित वार्षिक योजनाएं, परिभाषित लक्ष्य लाभार्थी आदि शामिल हैं। समिति को आशा है कि

मंत्रालय इसे परिणामोन्मुखी और समयबद्ध तरीके से लागू करेगा। समिति इच्छा व्यक्त करती है कि की गई कार्यवाही चरण में उसे इस संबध में हुई प्रगति से अवगत कराया जाए।

2.12. समिति पाती है कि आरम्भ में जनजातीय कार्य मंत्रालय को वर्ष 2020-21 और 2021-22 के लिए क्रमशः 7355.76 करोड़ रुपये और 7084.07 करोड़ रुपये का बजटीय आवंटन किया गया था ताकि वह दो सरकारी कार्यक्रमों नामतः 'जनजातीय उप-योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता' और 'सहायता अनुदान' के अलावा अपने केंद्रीय क्षेत्र और केंद्र प्रायोजित योजनाओं का 'संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत कार्यान्वयन कर सके। हालांकि, संशोधित अनुमान में आवंटन को घटाकर 2020-21 में 5472.50 करोड़ रुपये और 2021-22 में 6126.46 करोड़ रुपये कर दिया गया था। आश्चर्य की बात है कि कोविड के कारण वित्त मंत्रालय द्वारा सभी मंत्रालयों को आवंटन में कमी के बावजूद जनजातीय कार्य मंत्रालय 2020-21 में संशोधित अनुमान आवंटन को भी पूरी तरह से खर्च नहीं कर सका और 2021-22 में 15 फरवरी, 2022 तक केवल 4070.04 करोड़ रुपये खर्च करने में सक्षम रहा है। इसका कारण यह बताया गया कि सरकारी और गैर-सरकारी दोनों एजेंसियां कोविड-19 महामारी के कारण क्षेत्र स्तर की गतिविधियों को पूरी तरह से करने में सक्षम नहीं थीं। इसके अलावा राज्य मंत्रालय द्वारा उन्हें जारी की गई राशि का उपयोग नहीं कर सके और उपयोगिता प्रमाण पत्र (यूसी) प्रस्तुत नहीं कर सके। फिर भी, 2021-22 के दौरान मंत्रालय द्वारा प्रशासित विभिन्न योजनाओं के व्यय का विश्लेषण करने के बाद, समिति के लिए यह स्वीकार करना मुश्किल है कि चल रही महामारी ने व्यय को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया है क्योंकि अनुसूचित जनजातियों के लिए काम करने वाले स्वैच्छिक संगठनों को सहायता, विशेष रूप से कमजोर समूहों का विकास आदि जैसी कई योजनाओं पर काम जारी रह सकता था, खासकर जब मंत्रालय ने पहले ही स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में जनजातीय गांवों की असमानता का विश्लेषण किया है और 'प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना (पीएमएएजीवाई)' के साथ-साथ प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन (पीएमजेवीएम) के तहत प्रत्येक वर्ष के लिए परिभाषित लक्ष्य लाभार्थियों के साथ चरणबद्ध तरीके से कार्यान्वित की जाने वाली उनकी योजनाओं का पुनरुद्धार कर दिया है।

2.13. समिति यह नोट कर क्षुब्ध है कि जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा आवश्यक निधियों के लिए किए गए अनुमानों को वास्तविक बजट अनुमान आवंटन में वित्त मंत्रालय द्वारा हमेशा कम कर दिया जाता है। संशोधित अनुमान चरण में इन आवंटनों को और कम किया जाता है। वर्ष 2020-21 में संशोधित अनुमान चरण में आवंटन को 7355.76 करोड़ रुपये से घटाकर 5472.50 करोड़ रुपये कर दिया गया और 2021-22 में इसे 7484.07 करोड़ रुपये से घटाकर 6126.46 करोड़ रुपये कर दिया गया। इसके अलावा, वित्त मंत्रालय द्वारा 2022-23 के लिए बजटीय आवंटन में काफी कमी की गई है क्योंकि जनजातीय कार्य मंत्रालय को 13208.52 करोड़ रुपये के उनके अनुमान के बावजूद, केवल 8406.92 करोड़ रुपये प्रदान किए थे। समिति को यह विश्वास है कि चूंकि पीएमएएजीवाई के 5 चरणों में विभिन्न परिणाम लक्ष्यों की पहचान की गई है और

छात्रवृत्ति योजनाओं, ईएमआरएस आदि के लिए लक्ष्य भी निर्धारित किए गए हैं, इसलिए अनुमान यथार्थवादी थे। इसलिए, उन्हें लगता है कि वास्तविक बीई चरण में इतनी कमी नहीं होनी चाहिए थी। अभी भी उसी में लगभग ₹ 5000 करोड़ का अंतर हुआ है। स्पष्ट है, मंत्रालय इस अंतर को कम से कम करने के लिए वित्त मंत्रालय को आश्वस्त नहीं कर सका। इसलिए समिति आशा करती है कि कि जनजातीय कार्य मंत्रालय इस वर्ष उपलब्ध निधियों का पूरा उपयोग लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए करेगा और भविष्य में, संशोधित योजनाओं के अनुभव और व्यवहार्यता पर विचार करते हुए एक यथार्थवादी बजट तैयार करेगा।

अध्याय - तीन

जनजातीय छात्रों के लिए मैट्रिक पूर्व और मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजनाएं

(एक) मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति योजना

3.1 स्कीम का उद्देश्य कक्षा नवीं तथा दसवीं में अध्ययनशील अनुसूचित जनजाति के छात्रों की सहायता करना है ताकि विशेष रुप से शिक्षा के प्राथमिक से माध्यमिक स्तर में जाने तथा माध्यमिक स्तर के दौरान, स्कूल छोड़ने (ड्रॉप आउट) के मामले को कम किया जा सके, तथा शिक्षा के मैट्रिकोत्तर स्तर पर उन्हें प्रगति करने के बेहतर मौके प्राप्त हो सकें। माता-पिता/अभिभावकों की आय प्रति वर्ष ₹ 2.50 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। यह एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम है जो राज्य सरकारों तथा संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है। पूर्वोत्तर और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखण्ड तथा जम्मू और कश्मीर जैसे पहाडी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों जहां निधियन अनुपात 90:10 है, के अलावा केन्द्र और सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के बीच निधियन अनुपात 75:25 है। बिना विधानमण्डल के संघ राज्य-क्षेत्रों के लिए शेयरिंग पैटर्न 100% केन्द्रीय अंश है।

3.2. छात्रवृत्तियों का भुगतान वर्ष में 10 माह की अवधि हेतु दिवा विद्यार्थियों के लिए 225/- रूपये प्रतिमाह की दर से तथा छात्रावासियों के लिए 525/- रूपये प्रतिमाह की दर से दिया जाता है। पुस्तकों तथा तदर्थ अनुदान का भुगतान दिवा छात्रों के लिए 750/- रूपये वार्षिक की दर से तथा छात्रावासियों के लिए 1000/- रूपये वार्षिक की दर से किया जाता है। अनुसूचित जनजाति के दिव्यांग विद्यार्थी जो मान्यता प्राप्त निजी गैर-सहायता प्राप्त विद्यालयों में पढ़ रहे हैं, अपनी दिव्यांगता के आधार पर 160/- रूपये से 240/- रूपये के बीच की दर पर मासिक भत्तों के लिए पात्र हैं।

3.3. 2022-23 के लिए बजटीय अनुमानों के साथ पिछले तीन वर्षों के लिए बजट अनुमान, संशोधित अनुमान और वास्तविक व्यय इस प्रकार है:-

(करोड़ रुपए में)

2019-20			2020-21			2021-22			2022-23
बीई	आरई	व्यय	बीई	आरई	व्यय	बीई	आरई	व्यय (31.01.2022 तक)	**बीई**
340.00	440.00	439.99	400.00	250.00	248.90	400.00	400.00	389.18	419.00

3.4. योजना के तहत निर्धारित लक्ष्य और हासिल की गई उपलब्धियां इस प्रकार हैं:-

2019-20	2020-21	2021-22	2022-23 लक्ष्य

लक्ष्य	उपलब्धि	कमी, यदि कोई हो, तथा उसका कारण (संक्षेप में)	लक्ष्य	उपलब्धि	कमी, यदि कोई हो, तथा उसका कारण (संक्षेप में)	कमी	यदि कोई हो	कमी, यदि कोई हो, तथा उसका कारण (संक्षेप में)	
12.10 लाख विद्यार्थी	**14.51** लाख विद्यार्थी	कोई कमी नहीं	**15.00** लाख विद्यार्थी	**14.46** लाख विद्यार्थी	कोई कमी नहीं	**15.00** लाख विद्यार्थी	**12.7** लाख विद्यार्थी	कोई कमी नहीं। वित्त वर्ष 2021-22 के लिए छात्रवृत्ति निधि का जारी होना अभी तक प्रक्रियाधीन है।	**15.00** लाख अनुमानित

3.5. जैसा कि देखा जा सकता है कि वर्ष 2021-22 के लिए योजना के तहत 400.00 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई थी, जिसमें से 31.01.2022 तक 389.18 करोड़ रुपये जारी हुई। इस योजना के तहत, यह देखा गया है कि 2020-21 के संशोधित अनुमान में निधियों के आवंटन में अचानक 400 करोड़ रुपये से 250 करोड़ रुपये तक की गिरावट आई है। तथापि, बाद के वर्ष में, योजना के तहत आवंटन की सीमा को उस स्तर, यानी 400 करोड़ रुपए तक बनाए रखा गया, जो 2020-21 के मूल बजट (बजट अनुमान) में था। इसके अलावा, पिछले कुछ वर्षों में यह पाया गया है कि आबंटित निधियों का पूर्ण उपयोग हो रहा है।

3.6. वर्ष 2019-20 से 2021-22 (31.12.2021 तक) के दौरान लाभार्थियों के राज्य-वार कवरेज और जारी केंद्रीय सहायता को दर्शाने वाला विवरण इस प्रकार है:

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम**	**2019-20**		**2020-21**		**2021-22 (31.12.2021 की स्थिति के अनुसार)**
		जारी निधि	**लाभार्थी**	**जारी निधि**	**लाभार्थी**	**जारी निधि**
1	अंडमान और निकोबार	5.62	247	12.33	278	0.00
2	आंध्र प्रदेश	736.32	28124	1433.81	12647	3935.06
3	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	5849	0.00
4	असम	0.00	2869	17.27	2710	102.18
5	बिहार	7131.47	46096	0.00	55198	0.00
6	छत्तीसगढ़	4796.94	143986	3541	134262	0.00
7	दादरा नागर हवेली एवं दमन और दीव	-	-	234.00	3452	0.00
8	दादरा और नागर हवेली	38.49	5044			
9	दमन और दीव	5.89	377			
10	गोवा	80.56	3332	41.35	3475	0.00
11	गुजरात	5248.34	0.00	2198.84	0.00	3689.18
12	हिमाचल प्रदेश	83.92	2709	91.87	3534	0.00
13	जम्मू एवं कश्मीर	0.00	0.00	0.00	11470	0.00
14	झारखंड	1514.49	106761	0.00	83511	3899.03
15	कर्नाटक	1846.92	87364	0.00	72626	1753.16
16	केरल	287.31	7858	116.56	9880	347.07

17	लद्दाख	0.00	0.00	42.27	3450	0.00
18	मध्य प्रदेश	7698.90	318870	5429.34	314356	11458.18
19	महाराष्ट्र	0.00	0.00	0.00	111939	0.00
20	मणिपुर	443.33	24760	0.00	0.00	0.00
21	मेघालय	0.00	0.00	0.00	790	0.00
22	मिजोरम	702.21	16890	167.86	11046	657.47
23	नागालैंड	0.00	1500	60.75	3000	0.00
24	ओडिशा	6157.65	219875	6944.96	173833	5236.75
25	पुदुच्चेरि	0.00	60	1.63	21	0.00
26	राजस्थान	5346.97	184163	3126.9	215040	6234.34
27	सिक्किम	3.57	415	9.41	414	0.00
28	तमिल नाडु	589.74	13423	241.00	13471	546.55
29	तेलंगाना	0.00	5570	0.00	856	0.00
30	त्रिपुरा	386.18	10980	252.09	9404	58.55
31	उत्तर प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	88.17
32	उत्तराखंड	0.00	2504	138.24	1329	0.00
33	पश्चिम बंगाल	894.18	37333	788.22	30050	912.51
	कुल	**43999.00**	**1271110**	**24890.24**	**1287891**	**38918.20**

3.7. यह पूछे जाने पर कि क्या कभी ऐसा हुआ है कि इस योजना के तहत वित्त मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराई गई निधियां कम पड़ी हों, मंत्रालय ने अन्य बातों के साथ-साथ अपने लिखित उत्तर में बताया कि:

"इस मंत्रालय को उपलब्ध कराए गए बजट में कोई कमी नहीं है।''

3.8. यह पूछे जाने पर कि क्या मंत्रालय ने मैट्रिकपूव्र छात्रवृत्ति के लिए पात्र लाभार्थियों की संख्या का आकलन करने के लिए कोई अध्ययन किया है, मंत्रालय ने अन्य बातों के साथ-साथ यह जानकारी दी कि:

"मंत्रालय ने आईआईपीए, नई दिल्ली के माध्यम से पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति का मूल्यांकन किया है। इसके अलावा नीति आयोग ने केपीएमजी के माध्यम से पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति का मूल्यांकन भी किया है।

मैट्रिकपूर्व छात्रवृत्ति योजना केंद्र प्रायोजित योजना है। बजटीय अनुमान पिछले वर्ष के दौरान किए गए व्यय के आधार पर तैयार किए जाते हैं और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त लाभार्थी विवरण के साथ मांग/प्रस्तावों के आधार पर लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं। ये लक्ष्य अनुमानों की प्रकृति के हैं और पात्र छात्रों की संख्या और व्यय को अंतिम रूप छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए आवेदन आमंत्रित करने वाले पोर्टलों पर प्राप्त पात्र आवेदनों की संख्या पर आधारित है।"

3.9. यह पूछे जाने पर कि माता-पिता की आय सीमा तय करने के लिए किन मापदंडों को ध्यान में रखा जाता है और इसे कब संशोधित किया गया था और क्या किसी स्थान से आय बढ़ाने के लिए कोई अनुरोध किया गया है, मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में बताया कि:

> "समान मंत्रालयों द्वारा लागू समान योजनाओं के तहत मुद्रास्फीति और आय सीमा के आधार पर आय सीमा तय की जाती है।
>
> पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत आय सीमा को पिछली बार 2013 में 2.00 लाख रुपये से संशोधित कर 2.50 लाख रुपये किया गया था (अकादमिक सत्र 2013-14 से)। आईआईपीए के मूल्यांकन अध्ययन ने योजनाओं के तहत पात्रता के लिए आय मानदंड में वृद्धि की सिफारिश की। छात्रवृत्ति योजना के तहत आय मानदंड व्यय विभाग के परामर्श के बाद और योजना के तहत बजट की उपलब्धता, अन्य मंत्रालयों में पालन किए जाने वाले मानदंड और कैबिनेट के अनुमोदन से विभिन्न कारकों को ध्यान में रखते हुए तय किया जाता है।"

3.10. इस संबंध में जनजातीय कार्य मंत्रालय के सचिव ने विचार-विमर्श के दौरान समिति को सूचित किया कि:

> "इस पर डिफेंस मिनिस्टर की अध्यक्षता में ग्रुप ऑफ मिनिस्टर की एक मीटिंग भी हो रही है, जिसमें स्कॉलरशिप की एक प्रश्नावली में एक प्रश्न यह भी था कि ढ़ाई लाख रुपये की इनकम लिमिट रखी गई है, वह बहुत कम है और इसको बढ़ाया जाना चाहिए।"

3.11. मंत्रालय द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान (आईआईपीए) ने अन्य बातों के साथ-साथ मूल्यांकन रिपोर्ट में निम्नलिखित सुझाव/सिफारिशें की हैं और कहा जाता है कि 2021-22 से 2025-26 की अवधि के लिए जारी रखने के लिए योजना के मूल्यांकन के दौरान इस पर विचार किया जाता है।

1. स्थानीय रूप से प्रसारित प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से इस योजना के बारे में जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता है। कम से कम प्रचार का माध्यम जनजातीय भाषा में प्रसारित होने वाला समाचार पत्र होना चाहिए। स्थानीय समाचार चैनलों को भी सूचना का प्रसार करने के लिए विचार किया जाना चाहिए, और अधिक वास्तविक / प्रत्यक्ष (फिजिकल) लक्ष्यों तक बढ़ाया जाना चाहिए। समाचार पत्र और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को दिया गया मामला राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के जनजातीय विभाग में रिकॉर्ड रखरखाव (कीपिंग) का हिस्सा होना चाहिए।

2. राज्य, जिला और स्कूलों / संस्थानों के प्रमुखों के लिए योजना के कार्यान्वयन पर अनुकूलित प्रशिक्षण स्थानीय स्तर पर एनआईसी द्वारा आयोजित किया जाना

चाहिए। प्रशिक्षण अच्छी तरह से परिभाषित अधिगम अर्थात् लर्निंग परिणामों के साथ आयोजित किया जाना चाहिए, प्रशिक्षुओं द्वारा प्रशिक्षण पर प्रतिक्रिया और संबंधित प्रशिक्षक द्वारा प्रत्येक प्रशिक्षु के मूल्यांकन को प्रशिक्षण ढांचे का हिस्सा बनाया जाना चाहिए। प्रशिक्षण / प्रशिक्षणों का मूल्यांकन प्रशिक्षुओं और प्रशिक्षकों दोनों द्वारा किया जाना चाहिए।

3. केंद्र से राज्य / संघ राज्य क्षेत्रों की तुलना में राज्य या संघ राज्य क्षेत्रों/जिलों को लाभार्थी के खातों में वित्तीय सहायता समय पर जारी करने की आवश्यकता है। हालांकि, पिछले सुधार/ हस्तक्षेप/ सुझाव में यह सुनिश्चित करने के लिए कि निधि के प्रवाह को निर्बाध रूप से विनियमित किया जाना सुनिश्चित करने हेतु ने बहुत अधिक परिवर्तन नहीं किया। लाभार्थियों के खाते में राशि के समय पर संवितरण के साथ प्राथमिकता के आधार पर राशि वितरित करने के लिए केंद्र और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की देयता को जोड़ा जाना चाहिए। साथ ही, इसके लिए सभी स्तरों पर समर्पित कर्मचारियों की आवश्यकता होती है। योजनाओं के प्रबंधन के लिए समर्पित कर्मचारियों को संवितरण में किसी भी देरी के लिए जवाबदेह ठहराया जाएगा। स्टाफ, बजट अनुमान, संशोधित अनुमान, वास्तविक व्यय और लक्षित लाभार्थियों की संख्या से संबंधित सभी जानकारी भी रखेगा। स्टाफ सदस्यों को यह भी सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि राशि वार्षिक आधार पर लाभार्थियों तक पहुंचे। योजना में शामिल सभी लेन-देन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा संरक्षित किए जाने हैं। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की मांग राज्य जनजातीय विभाग द्वारा समय पर तैयार की जानी चाहिए और मंत्रालय को अग्रेषित की जानी चाहिए। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि उपरोक्त विवरण केंद्र के साथ साझा किए जाएं।

4. आय प्रमाण पत्र के लिए छात्रों के माता-पिता/अभिभावकों की आय सीमा को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को ध्यान में रखते हुए संशोधित किया जाना चाहिए। साथ ही छात्रवृत्ति लाभार्थियों की शैक्षिक लागत को पूरा करने के लिए मौजूदा दर की छात्रवृत्ति राशि में 40% की वृद्धि की सिफारिश की जाती है।

5. शैक्षिक संस्थानों को छात्रवृत्ति प्रसंस्करण (प्रोसेसिंग) के लिए आसान पहुँच प्रदान करने वाली इंटरनेट सुविधा प्राप्त करने के लिए कुछ गैर-आवर्ती अनुदान प्रदान किया जा सकता है।

6. योजनाओं की पहुंच और प्रभावशीलता में सुधार के लिए, वित्तीय और भौतिक (फिजिकल) दोनों प्रकार के स्केलिंग अर्थात् इनको बढ़ाने की सिफारिश की जाती है।

सभी संभावित लाभार्थियों को कवर करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अग्रिम रूप से निधि की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी है।

7. अध्ययन में यह भी सिफारिश की गई है कि वास्तविक उपयोगिता का आकलन करने के लिए और जरूरतमंद अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों को किस हद तक कवर किया जा रहा है, इसका आकलन करने हेतु एक वार्षिक सामाजिक आकलन (सोशल ऑडिट) किया जाए। सामाजिक आकलन की सिफारिशें योजना को फिर से चालू रखेगी और इसे अप्रचलित नहीं होने देगी।

(दो) मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना (पीएमएस)

3.12. इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित जनजाति के छात्रों को माध्यमिक स्तर की शिक्षा प्राप्त करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस योजना में, विभिन्न स्तरों पर पेशेवर, तकनीकी के साथ-साथ गैर-पेशेवर और गैर-तकनीकी पाठ्यक्रम शामिल है जिसमें दूरस्थ और सतत् शिक्षा सहित पत्राचार पाठ्यक्रम शामिल हैं जो दूरस्थ और सतत शिक्षा को कवर करते हैं। यह योजना वर्ष 1944-45 के दौरान शुरू की गई थी और तब से इसमें समय-समय पर आशोधन किया जाता रहा है। इस योजना में पिछली बार आशोधन, दिनांक 01.04.2013 को किया गया था।

3.13. यह योजना अनुसूचित जनजाति के उन सभी छात्रों के लिए खुली है जिनके माता-पिता की वार्षिक आय ₹ 2.50 लाख तक है। छात्र देश में कहीं भी अध्ययन कर सकता है और छात्रवृत्तियां उस राज्य / संघ राज्य क्षेत्र की सरकार के माध्यम से प्रदान की जाती हैं जहां उसका अधिवास है। इस योजना में, राज्य शुल्क विनियामक समिति द्वारा निर्धारित ट्यूशन शुल्क की प्रतिपूर्ति की जाती है। छात्रों को पाठ्यक्रम के प्रकार के आधार पर भरण-पोषण भत्ता भी प्रदान किया जाता है। पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत आय सीमा को पिछली बार 2013 में ₹ 2.00 लाख से संशोधित करके ₹ 2.50 लाख कर दिया गया था। पाठ्यक्रमों को चार श्रेणियों में विभाजित किया गया है और दरें ₹ 230 / - प्रति माह से ₹ 1200 प्रति माह के बीच होती हैं, जैसा कि नीचे दिखाया गया है।

समूह	**पाठ्यक्रम**	**भरण-पोषण भत्ते की दर (रुपए प्रति माह)**	
		छात्रावासी	**दिवस अध्येता**
समूह एक	एम फिल, पीएचडी सहित डिग्री और स्नातकोत्तर स्तर के पाठ्यक्रम [मेडिसिन, अभियांत्रिकी, सीए वाणिज्यिक पायलट आदि]	1200	550

समूह दो	फार्मेसी (बी फार्मा) जैसे क्षेत्रों में डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट तक के स्नातक / स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम। हॉटल प्रबंधन, जन संचार आदि। नर्सिंग (बी नर्सिंग), एलएलबी, बीएफएस, अन्य पैरा-मेडिकल शाखाएं [एमए, एम.एससी, एम.कॉम, एम.फार्मा, एमएड आदि]	820	530
समूह तीन	स्नातक डिग्री के लिए समूह-I एव समूह-II में नहीं शामिल सभी अन्य पाठ्यक्रम, जैसे बीए / बीएससी / बी कॉम आदि।	**570**	**300**
समूह चार	सभी मैट्रिकोत्तर स्तर के गैर-डिग्री पाठ्यक्रम [दोनों सामान्य और व्यावसायिक स्ट्रीम, आईटीआई पाठ्यक्रम, पॉलिटेक्निक में 3 वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम, आदि।]	**380**	**230**

उपर्युक्त के अतिरिक्त, नि:शक्त अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए 160 से 240 रुपए तक के बीच प्रावधान किया गया है।

3.14. वर्ष 2022-23 के लिए बजटीय अनुमानों के साथ पिछले तीन वर्षों के लिए बजट अनुमान**,** संशोधित अनुमान और वास्तविक व्यय इस प्रकार है:-

(करोड़ रुपए में**)**

2019-20			**2020-21**			**2021-22**			2022-23
बीई	आरई	व्यय	बीई	आरई	व्यय	बीई	आरई	व्यय (31.01.2022 तक)	**बीई**
1613.50	1826.39	1862.65	1900.00	1833.00	1830.14	1993.00	2257.72	1891.45	1965.00

3.15. योजना के तहत निर्धारित लक्ष्य और हासिल की गई उपलब्धियां इस प्रकार हैं:-

2019-20			**2020-21**			**2021-22**				**2022-23**
लक्ष्य	उपलब्धि	कमी, यदि कोई हो, तथा उसका कारण (संक्षेप में)	लक्ष्य	उपलब्धि	कमी, यदि कोई हो, तथा उसका कारण (संक्षेप में)	कमी	यदि कोई हो			लक्ष्य
18.50 लाख विद्यार्थी	20.61 लाख विद्यार्थी	कोई कमी नहीं	18.00 लाख विद्यार्थी	20.60 लाख विद्यार्थी	कोई कमी नहीं	20.00 लाख विद्यार्थी	14.49 लाख विद्यार्थी	कोई कमी नहीं वर्ष 2021-22 के लिए निधियों का जारी होना अभी तक प्रक्रियाधीन है		20.00 लाख विद्यार्थी

3.16. यह योजना राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा कार्यान्वित की जाती है। पूर्वोत्तर और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू एवं कश्मीर के पहाड़ी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को छोड़कर सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए केन्द्र और राज्यों

के बीच वित्तपोषण अनुपात 75:25 है जहां यह 90:10 है। विधायिका के बिना केंद्र शासित प्रदेशों के लिए केंद्रीय सहायता 100% है। 1993.00 करोड़ रुपये (अम्ब्रेला योजना का सामान्य घटक) के बजट आवंटन की तुलना में 31.12.2021 तक 1891.45 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई थी। वर्ष 2019-20 से 2021-22 (31.12.2021 तक) के दौरान इस योजना के तहत जारी लाभार्थियों और केंद्रीय सहायता का राज्य-वार कवरेज इस प्रकार है:

(रुपये लाख में)

क्रम सं	**राज्य/सं. राज्य क्षेत्र का नाम**	**2019-20**		**2020-21**		**2021-22 (31.12.2021 तक)**
		जारी की गई निधियां	**लाभार्थियों**	**जारी की गई निधियां**	**लाभार्थियों**	**जारी की गई निधियां**
1	अंडमान और निकोबार	11.34	447	13.29	312	0.00
2	आंध्र प्रदेश	7797.07	158195	6039.35	71820	8991.45
3	अरुणाचल प्रदेश	6113.41	20500	5712.96	31916	12360.5
4	असम	4867.20	55507	5413.54	54846	1093.40
5	बिहार	1525.43	13938	708.22	19513	0.00
6	छत्तीसगढ़	7022.69	144453	8790.24	140163	0.00
7	दादरा नागर हवेली एवं दमन और दीव	-	-	3481.73	6180	0.00
8	दादरा और नागर हवेली	88.66	5618			
9	दमन और दीव	0.00	351			
10	गोवा	732.79	5870	458.18	6412	0.00
11	गुजरात	14004.48	202667	22977.64	0.00	29171.54
12	हिमाचल प्रदेश	2468.81	3009	0.00	5121	0.00
13	जम्मू एवं कश्मीर	1048.29	10685	805.44	4940	0.00
14	झारखंड	7862.86	79823	0.00	78755	12654.88
15	कर्नाटक	15003.43	118083	0.00	129094	17080.51
16	केरल	1641.52	16583	3285.25	15820	2516.49
17	लद्दाख	0.00	0.00	738	8200	0.00
18	मध्य प्रदेश	12198.58	244126	12344	279722	24529.43
19	महाराष्ट्र	15575.38	139550	18149.52	127848	19214.82
20	मणिपुर	6235.55	30969	2184.19	37258	4292.15
21	मेघालय	0.00	0.00	0.00	17315	2636.09

22	मिजोरम	4415.78	38174	3446.82	33798	3874.63
23	नागालैंड	3268.73	40164	3226.37	37183	4435.75
24	ओडिशा	16640.15	171532	19095.97	155309	21842.98
25	पुदुच्चेरि	0.00	23	19.56	38	0.00
26	राजस्थान	25950.52	286652	25557.03	315315	0.00
27	सिक्किम	566.80	4431	553.83	3488	1036.28
28	तमिल नाडु	5025.19	29478	3328.99	21593	4849.38
29	तेलंगाना	19610.60	129243	27297.83	118347	7503.90
30	त्रिपुरा	2355.78	23720	4804.98	26092	7188.77
31	उत्तर प्रदेश	1822.71	17984	2281.67	19782	0.00
32	उत्तराखंड	0.00	6499	0.00	3528	0.00
33	पश्चिम बंगाल	2411	62234	2256.42	58156	3872.05
	कुल	**186264.75**	**2060508**	**182908.02**	**1827864**	**189145.00**

3.17. यह पूछे जाने पर कि क्या मंत्रालय ने मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति के लिए पात्र लाभाथयों की संख्या का आकलन करने के लिए कोई अध्ययन कराया है और बजटीय अनुमान कैसे तैयार किए जाते हैं और लक्ष्य कैसे निर्धारित किए जाते हैं, जनजातीय कार्य मंत्रालय ने अन्य बातों के साथ-साथ अपने लिखित उत्तर में प्रस्तुत किया कि:

"मंत्रालय ने आईआईपीए, नई दिल्ली के माध्यम से पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति का मूल्यांकन किया है। इसके अलावा नीति आयोग ने केपीएमजी के माध्यम से पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति का मूल्यांकन भी किया है।

मैट्रिकपूर्व और मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजनाएं केंद्र प्रायोजित योजनाएं हैं। बजटीय अनुमान पिछले वर्ष के दौरान किए गए व्यय के आधार पर तैयार किए जाते हैं और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त लाभार्थी विवरण के साथ मांग/प्रस्तावों के आधार पर लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं। ये लक्ष्य अनुमानों की प्रकृति के हैं और पात्र छात्रों की संख्या और व्यय को अंतिम रूप छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए आवेदन आमंत्रित करने वाले पोर्टलों पर प्राप्त पात्र आवेदनों की संख्या पर आधारित है।"

3.18. यह पूछे जाने पर कि क्या इस योजना के तहत वित्त मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराई गई निधियों में कभी कमी आई है, जनजातीय कार्य मंत्रालय ने अन्य बातों के साथ-साथ अपने लिखित उत्तर में प्रस्तुत किया कि

"इस मंत्रालय को उपलब्ध कराए गए बजट में कोई कमी नहीं देखी गई है"

3.19. जहां तक माता-पिता की आय सीमा निर्धारित करने के लिए विचार में लिए गए मापदंडों का संबंध है और इसे कब संशोधित किया गया था और क्या किसी भी तिमाही से आय बढ़ाने के लिए कोई अनुरोध किया गया है, जनजातीय कार्य मंत्रालय ने अन्य बातों के साथ-साथ अपने लिखित उत्तर में प्रस्तुत किया है कि:

> "समान मंत्रालयों द्वारा लागू समान योजनाओं के तहत मुद्रास्फीति और आय सीमा के आधार पर आय सीमा तय की जाती है।
>
> पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत आय सीमा को पिछली बार 2013 में 2.00 लाख रुपये से संशोधित कर 2.50 लाख रुपये किया गया था (अकादमिक सत्र 2013-14 से)। आईआईपीए के मूल्यांकन अध्ययन ने योजनाओं के तहत पात्रता के लिए आय मानदंड में वृद्धि की सिफारिश की। छात्रवृत्ति योजना के तहत आय मानदंड व्यय विभाग के परामर्श के बाद और योजना के तहत बजट की उपलब्धता, अन्य मंत्रालयों में पालन किए जाने वाले मानदंड और कैबिनेट के अनुमोदन से विभिन्न कारकों को ध्यान में रखते हुए तय किया जाता है।"

3.20. मंत्रालय द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार, छात्रवृत्ति योजना के मूल्यांकन पर भारतीय लोक प्रशासन संस्थान (आईआईपीए) ने मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति योजना के मूल्यांकन पर दी गई सिफारिशों/सुझावों के लिए विभिन्न सिफारिशें, सुझाव साझा किए और 2021-22 से 2025-26 की अवधि के लिए इसे जारी रखने के लिए योजना के मूल्यांकन के दौरान विचार किया जाता है। इसके अतिरिक्त, आईआईपीए ने यह भी सिफारिश की है कि संस्थानों में बैंक (योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार निर्धारित विषयों में) को तत्काल स्थापित किए जाने की आवश्यकता है और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के जनजातीय विभागों को बुक बैंक का अस्तित्व सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। यदि बुक बैंकों की स्थापना नहीं की जाती है, तो शिक्षा विभाग/उच्चतर शिक्षा के समन्वय से अपेक्षित कदम उठाए जाने की आवश्यकता है।

3.21. जहां तक मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति योजना का संबंध है समिति को यह जानकर आश्चर्य हुआ है कि योजना के तहत 2020-21, 2021-22 और 2022-23 के लिए निर्धारित लाभार्थियों की संख्या और लक्ष्य में बहुत अधिक अंतर नहीं है, जिसे योजना के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए बढ़ना चाहिए था, अर्थात् पढ़ाई बीच में छोड़ने वालों छात्रों की संख्या को कम से कम किया जाना चाहिए था। वर्ष 2019-20 में, 14.51 लाख छात्रों को छात्रवृत्ति मिली, इसी तरह 2020-21 में 14.46 लाख छात्रों को छात्रवृत्ति मिली और 2021-22 में 12.7 लाख छात्रों को छात्रवृत्ति मिली है और शेष कुछ मामले कथित तौर पर प्रक्रियाधीन हैं। इन आंकड़ों की जांच के बाद, समिति को लगता है कि या तो मैट्रिक-पूर्व कक्षाओं के अंतर्गत जनजातीय छात्रों की संख्या स्थिर रही है या मंत्रालय ने यह

सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त प्रयास नहीं किए हैं कि योजना के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य जनजातीय जनसंख्या के संबंध में सही आंकड़ों पर आधारित हो ताकि सभी पात्र छात्रों को योजना का लाभ मिल सके। समिति राज्य-वार कवरेज से यह नोट कर क्षुब्ध है कि कुछ राज्यों में जैसे अरुणाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, महारष्ट्र, मेघालय, पुदुचेरी, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में या तो लाभग्राही या निर्गम निधियां शून्य हैं। समिति मंत्रालय से चाहती है कि कुछ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में वह योजना का लाभ लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या स्थिर रहने और निधियों के शून्य आवंटन के कारणों का विश्लेष्ण करें। साथ ही साथ मंत्रालय को अधिक से अधिक जनजातीय क्षेत्रों तक पहुँचने के लिए उपयुक्त उपाय करने चाहिए ताकि ये विद्यार्थी योजना का उचित लाभ ले सकें।

3.22. समिति पाती है कि भारतीय लोक प्रशासन संस्थान (आईआईपीए) द्वारा किये गये मैट्रिक-पूर्व और मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजनाओं के मूल्यांकन अध्ययन में योजनाओं के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, जागरूकता बढ़ाने, निधियों को समय पर जारी करने, माता-पिता की आय सीमा में संशोधन, योजनाओं की प्रभावी निगरानी और कार्यान्वयन के लिए वार्षिक सामाजिक लेखा परीक्षा के संबंध में कुछ मूल्यवान सिफारिशें/सुझाव दिए गए थे। समिति का मत है कि ये सिफारिशें/सुझाव महत्वपूर्ण हैं और आदिवासियों के हित में हैं। आय सीमा में संशोधन पर समिति द्वारा साक्ष्य के दौरान भी जोर दिया गया है। तथापि, समिति इस बात से अप्रसन्न है क्योंकि मंत्रालय ने आज तक कोई कार्रवाई नहीं की है और अब इन सिफारिशों/सुझावों पर 2021-22 से 2025-26 की अवधि के लिए जारी रखने के लिए दोनों योजनाओं के मूल्यांकन के दौरान विचार किए जाने का प्रस्ताव है। समिति का मानना है कि माता-पिता की आय सीमा बढ़ाने की तत्काल आवश्यकता है, क्योंकि संशोधन में अत्यधिक विलम्ब हुआ है, यह सीमा 2013 में अंतिम बार संशोधित की गई थी। इसी प्रकार वार्षिक सामाजिक लेखा परीक्षा और समय पर निधियों की रिलीज किसी भी खामी से निपटने और योजना के उद्देश्यों को प्राप्त करने में बहुत उपयोगी साबित होगी। इसलिए समिति चाहेगी कि जनजातीय कार्य मंत्रालय आईआईपीए की रिपोर्ट में दिए गए सुझावों/सिफारिशों की शीघ्रता से जांच करे और बिना किसी और विलम्ब के उपयुक्त रूप से इन सिफारिशों को कार्यान्वित करे।

3.23. समिति नोट करती है कि जनजातीय कार्य मंत्रालय चार श्रेणियों में विभाजित पाठ्यक्रमों के लिए उन छात्रों को 230 रुपये प्रति माह से लेकर 12000 रुपये प्रति माह तक की मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति प्रदान करता है, जिनके माता-पिता की आय 2.50 लाख रुपये तक है। समिति ने पाया कि वर्ष 2019-20 के दौरान 2060508 लाभार्थी थे जबकि 2020-21 में यह संख्या घटकर 1827864 हो गई। इसके अलावा, 2019-20 और 2020-21 के दौरान जारी की गई निधियां क्रमशः 1862.64 करोड़ रुपये (लगभग) और 1929.08 करोड़ रुपये (लगभग) थीं और वर्ष 2021-22 के लिए 31 दिसंबर, 2021 तक 1891.45 करोड़ रुपये (लगभग) जारी किए गए थे। बजट अनुमानों, संशोधित अनुमानों,

व्यय और निर्धारित/प्राप्त लक्ष्यों की संवीक्षा के संबंध में समिति आवंटन/व्यय के पैटर्न स्थिर पाती है क्योंकि आवंटन और लाभार्थियों की संख्या दोनों में वर्षों से वृद्धि नहीं हुई है। समिति का मत है कि बजटीय आवंटन करते समय जनजातीय जनसंख्या में होने वाली वार्षिक वृद्धि को ध्यान में रखना चाहिए और यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि लाभार्थियों की संख्या में प्रतिवर्ष वृद्धि हो।

अध्याय - चार

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति विद्यार्थी उच्च शिक्षा अध्येतावृत्ति

4.1 इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों को एमफिल और पीएचडी जैसी उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए वित्तीय सहायता के रूप में अध्येतावृत्ति प्रदान करना है। एमफिल के लिए अध्येतावृत्ति की अवधि 2 साल और पीएचडी के लिए 5 साल है। इस स्कीम के अंतर्गत, अध्येतावृत्ति की अधिकतम अवधि के लिए अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को प्रत्येक वर्ष 750 अध्येतावृत्तियां प्रदान की जाती हैं और इस योजना में आय की कोई सीमा नहीं है। इस योजना में भारतीय विश्वविद्यालयों/ संस्थानों/ कॉलेजों को शामिल किया गया है जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:

i विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 2 (एफ) और 12 (बी) / 2 (8) 1 12 (बी) के तहत शामिल विश्वविद्यालयों / संस्थानों / कॉलेजों को शामिल किया गया है।

ii विश्श्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अंतर्गत शामिल सम विश्श्वविद्यालय और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से सहायता अनुदान प्राप्त करने के लिए पात्र हैं।

iii केन्द्र/ राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित विश्वविद्यालय /संस्थाएं/ कॉलेज।

iv राष्ट्रीय महत्व के संस्थान।

4.2. यह एक केन्द्रीय क्षेत्र की योजना है और संपूर्ण वित्तपोषण केन्द्र सरकार द्वारा किया जाता है। निधियों को सीधे केनरा बैंक के माध्यम से विद्वान के खातों में स्थानांतरित किया जाता है, जो 2011 से यूजीसी द्वारा नामित अधिकृत बैंक है। अध्येतावृत्ति की दर इस प्रकार है:

कोर्स	राशि **(रू)**	आकस्मिकता	एचआरए	एस्कॉर्ट्स / रीडर सहायता
एमफिल	25000/- प्रति माह	i. मानविकी और सामाजिक विज्ञान हेतु प्रति माह 10000 रू ii. विज्ञान, इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी हेतु प्रति वर्ष 12000 रू	विश्वविद्यालय/ संस्थानों/ कॉलेजों के नियमों के अनुसार	सभी विषयों के लिए शारीरिक रूप से विकलांग और नेत्रहीन उम्मीदवारों के मामले में 2000

पीएचडी	28000/- PM	i. मानविकी और सामाजिक विज्ञान हेतु प्रति वर्ष 20500 रू ii. विज्ञान, इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी हेतु प्रति वर्ष 25000 रू		/- रुपये प्रति माह

4.3. जनजातीय कार्य मंत्रालय (एमओटीए) की जनजातीय प्रतिभा पूल पहल का उद्देश्य लर्निंग (सीखने), समर्थन, योगदान और मान्यता का वातावरण प्रदान करके अनुसूचित जनजाति (एसटी) विद्वानों (स्कॉलर) का विकास करना है और उन्हें केंद्र और राज्य स्तर पर जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा किए गए विभिन्न अनुसंधान और मूल्यांकन गतिविधियों में भाग लेने में सक्षम बनाना है। जनजातीय कार्य मंत्रालय (एमओटीए) अध्येतावृति योजना में एम. फिल और पीएचडी करने के लिए हर साल 3000 से अधिक वित्तीय व शोध विद्वानों को वित्त पोषित कर रहा है, जिसमें पूरे भारत के अनुसूचित जनजाति (एसटी) विद्वान चुनिंदा विश्वविद्यालयों में अध्ययन कर रहे हैं। जनजातीय प्रतिभा से जुड़ने के लिए उनकी रुचि के क्षेत्रों को समझकर और उन्हें उद्यमियों, शोधकर्ताओं के रूप में विकसित करने और उनके कल्याण के लिए भारत सरकार की विभिन्न अन्य योजनाओं के बारे में जागरूक करने के लिए उनकी क्षमता का उपयोग करने के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय ने भारतीय लोक प्रशासन संस्थान (आईआईपीए) के साथ एक अनूठी पहल की है। शैक्षणिक वर्ष 2020-21 के लिए चयन की प्रक्रिया प्रगति पर है।

4.4. 2022-23 के लिए बजटीय अनुमानों के साथ पिछले तीन वर्षों के लिए बजट अनुमान, संशोधित अनुमान और वास्तविक व्यय इस प्रकार है:-

(रुपये करोड़ में)

2019-20			2020-21			2021-22			2022-23
ब.अ.	**सं. अ .**	**व्यय**	**ब.अ.**	**सं. अ.**	**व्यय**	**ब.अ.**	**सं. अ.**	**व्यय (31 जनवरी 2022 तक)**	**ब.अ.**
100.00	100.00	100.00	100.00	120.00	120.00	100.00	120.00	96.69	145.00

4.5. इस योजना के तहत निर्धारित लक्ष्य और प्राप्त उपलब्धियां इस प्रकार हैं:-

2019-20	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23**

लक्ष्य	उपलब्धि	कमी यदि कोई संक्षेप में कारणों को इंगित करें	लक्ष्य	उपलब्धि	कमी यदि कोई संक्षेप में कारणों को इंगित करें	लक्ष्य	उपलब्धि		कमी यदि कोई संक्षेप में कारणों को इंगित करें	लक्ष्य
750 + **नवीकरण**	2552 **छात्र**	**कोई कमी नहीं**	750 + **नवीकरण**	2625 **छात्र**	**कोई कमी नहीं**	750 + **नवीकरण**	2508 **छात्र**	**कोई कमी नहीं**	340.27%	750 + **नवीकरण**

4.6. मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार मंत्रालय की छात्रवृत्ति योजनाओं का मूल्यांकन भारतीय लोक प्रशासन संस्थान (आईआईपीए) द्वारा किया गया था। आईआईपीए द्वारा दिए गए सुझावों पर 2021-22 से 2025-26 की अवधि के लिए योजना को जारी रखने के लिए योजना के मूल्यांकन के दौरान विचार किया गया था । आईआईपीए ने अन्य बातों के साथ-साथ मूल्यांकन रिपोर्ट में निम्नलिखित सुझाव/सिफारिशें की हैं:

क. जनजातीय कार्य मंत्रालय में शिकायत पोर्टल है जिसके माध्यम से वे छात्र के मुद्दों को हल करते हैं। जनजातीय कार्य मंत्रालय वर्ष में एक बार छात्रवृत्ति की प्रक्रिया पर संस्थानों और विश्वविद्यालयों के नोडल अधिकारी को क्षेत्रीय कार्यशालाओं के माध्यम से प्रशिक्षण देता है। अधिकारी को क्षेत्रीय कार्यशालाओं के माध्यम से प्रशिक्षण देता है। हालांकि , अनुसूचित जाति के छात्रों द्वारा यह सुझाव दिया जाता है कि इस तरह के प्रशिक्षण कार्यक्रम सभी जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा अधिसूचित विश्वविद्यालयों और शीर्ष श्रेणी के संस्थानों को कवर करने वाले नोडल अधिकारियों के लिए अक्सर प्रदान किए जाने चाहिए ताकि वे प्रत्येक छात्र को उनके सामने आने वाली तकनीकी समस्याओं का सामना करने में सहायता कर सकें और उनका मार्गदर्शन कार्यक्रम जनजातीय छात्रों के लिए सहायक दिशा पर केंद्रित होना चाहिए।

ख. मंत्रालय को पंजीकरण से लेकर छात्रवृत्ति के वितरण तक के समय को कम करने का प्रयास करना चाहिए। इसकी अवधि अधिकतम दो माह होनी चाहिए।

ग. छात्रवृत्ति के लिए सीटों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए ताकि अधिक से अधिक छात्र उच्चतर अध्ययन के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय की ऐसी योजनाओं का लाभ उठा सकें।

घ. छात्रवृत्ति में आकस्मिकता घटक होना चाहिए।

ड. छात्रों ने यह भी अनुरोध किया कि छात्रवृत्ति की राशि बढ़ाई जानी चाहिए क्योंकि स्वीकृत राशि कुछ पाठ्यक्रमों जैसे चिकित्सा विज्ञान, वास्तुकला और योजना (प्लानिंग), मास्टर और अनुसंधान स्तर दोनों के लिए इंजीनियरिंग हेतु पर्याप्त नहीं है।

च. सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, यूटयूब, इंस्टाग्राम और अन्य लोकप्रिय प्लेटफॉर्म के माध्यम से पात्रता, आवेदन करने का तरीका, यूटयूब में आवेदन-पत्र का डेमो, अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों के समाधान, छात्रवृत्ति की समस्याओं और लाभों के बारे में उचित जागरुकता अभियान होना चाहिए ताकि अधिकतम छात्र योजना की प्रक्रिया और तथ्यों को समझ सकें।

छ. अनुसूचित जनजाति के छात्रों ने सुझाव दिया कि अध्येतावृत्ति की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए ताकि अधिक से अधिक छात्र जनजातीय कार्य मंत्रालय की ऐसी योजनाओं का लाभ उठा सकें।

ज. चयनित विश्वविद्यालयों और संस्थाओं में अध्येतावृत्ति प्राप्त करने वाले अनुसूचित जनजाति के छात्र लाभार्थियों ने बताया कि यूजीसी फेलोशिप (जूनियर रिसर्च फेलोशिप (जेआरएफ) और सीनियर रिसर्च फेलोशिप (एसआरएफ) में 10 प्रतिशत की वृद्धि के कारण जनजातीय कार्य मंत्रालय की अध्येतावृत्ति की राशि बढ़ाई जानी चाहिए। विज्ञान, मानविकी और सामाजिक विज्ञान में यूजीसी के जेआरएफ की राशि को 25,000 रुपए प्रतिमाह से बढ़ाकर 31,000 रुपए प्रति माह कर दिया गया है। इसी तरह, विज्ञान, मानविकी और सामाजिक विज्ञान में यूजीसी के एसआरएफ को 28,000 रुपए प्रति माह से बढ़ाकर 35,000 रुपए प्रति माह कर दिया गया है।

झ. छात्रों ने यह भी अनुरोध किया कि अध्येतावृत्ति की आकस्मिकता/प्रासंगिकता के तहत राशि को बढ़ाया जाए।

4.7. समिति ने नोट किया है कि भारतीय विश्वविद्यालयों/संस्थानों/कॉलेजों में एमफिल और पीएचडी जैसे उच्च अध्ययन करने के लिए अनुसूचित जनजाति के छात्रों को हर वर्ष 750 राष्ट्रीय अध्येतावृत्तियां प्रदान की जाती हैं। समिति को यह जानकर आश्चर्य हुआ है कि 2020-21 और 2021-22 में बजटीय आवंटन/व्यय और लक्ष्य समान रहे हैं अर्थात 120.00 करोड़ रुपये और 2022-23 के लिए बजटीय आवंटन 120.00 करोड़ रुपये से मामूली रूप से बढ़कर 145.00 करोड़ रुपये हो गया है। समिति जानना चाहती है कि किन कारणों से 750 अध्येतावृत्तियों के लक्ष्य को संशोधित नहीं किया गया है। समिति चाहती है कि जनजातीय कार्य मंत्रालय को फेलोशिप की वास्तविक आवश्यकता का

आकलन करना चाहिए और तदनुसार अनुसूचित जनजाति के छात्रों को दी जाने वाली फेलोशिप की संख्या में वृद्धि करना चाहिए ताकि उच्च शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक छात्र उच्च शिक्षा के अपने सपनों को साकार करने में सक्षम हों। समिति यह भी चाहती है कि मंत्रालय राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति के संबंध में भारतीय लोक प्रशासन संस्थान द्वारा की गई सिफारिशों/सुझावों की जांच करे और उन्हें उपयुक्त रूप से कार्यान्वित करे और फैलोशिप को यूजीसी के जेआरएफ और एसआरएफ के समान स्तर पर लाए क्योंकि इससे छात्रों के वित्तीय बोझ को कम किया जा सकेगा।

अध्याय - पांच

अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति

5.1 इस केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम का उद्येश्य स्नातकोत्तर, पीएचडी तथा डॉक्टोरत्तर अनुसंधान कार्यक्रमों के लिए विदेश में उच्चतर शिक्षा ग्रहण करने हेतु चयनित विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। विदेश में स्नातकोत्तर, डाक्टरोत्तर तथा पोस्ट डाक्टरोत्तर स्तर के पाठ्क्रम पढ़ने वालों के लिए अनुसूचित जनजाति के 17 अभ्यर्थियों तथा विशेष रुप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) से संबंधित 3 अभ्यर्थियों को वार्षिक आधार पर छात्रवृत्ति प्रदान की जा सकती है।

5.2. यह छात्रवृत्ति अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को दी जाती है बशर्ते कि उम्मीदवार और उसके माता-पिता/अभिभावक की कुल आय 6 लाख रूपये प्रतिवर्ष से अधिक न हो। स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के लिए, अभ्यर्थी के 55 प्रतिशत अंक या समकक्ष ग्रेड वाली संगत स्नातक डिग्री के साथ कम से कम दो वर्षों का कार्य अनुभव वांछनीय है। अनुभवी उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाती है। एम.फिल या पीएचडी पाठ्यक्रम के लिए, अभ्यर्थी के 55 प्रतिशत अंक या समकक्ष ग्रेड वाली स्नातकोत्तर डिग्री के साथ दो वर्षों का अनुसंधान/शिक्षण/एम. फिल संबंधित क्षेत्र में डिग्री वांछनीय है। अनुभवी उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी। पोस्ट डॉक्टोरल अध्ययन के लिए उम्मीदवार के 55 प्रतिशत अंक या समकक्ष ग्रेड वाली स्नातकोत्तर डग्री अैर संगत क्षेत्र में 5 वर्षों का वांछनीय अध्यापन / अनुसंधान / व्यावसायिक अनुभव वांछनीय है। उम्मीदवारों से विदेश में किसी विश्वविद्यालय/कालेज में चयन की तारीख से 2 वर्षों के अंदर अपने द्वारा स्वयं दाखिले की व्यवस्था करना अपेक्षित है। छात्रवृत्ति और अन्य भत्तों की दरें निम्न हैं:-

घटक	**यूएस डॉलर / यू के पाउंड में राशि**
ट्यूशन फीस वास्तविक के अनुसार	वास्तविक
वार्षिक रखरखाव भत्ता	$ 15,400 (यूके को छोड़कर यूएसए और अन्य देश) £ 9,900 (यूके के लिए)
वार्षिक आकस्मिकता और उपकरण भत्ता	$ 1532 (यूके को छोड़कर यूएसए और अन्य देश) £ 1116 (यूके के लिए)
पोल टैक्स, आकस्मिक यात्रा व्यय, चिकित्सा बीमा प्रीमियम, हवाई मार्ग की लागत, स्थानीय यात्रा, वीजा शुल्क	वास्तविक, जहाँ कहीं लागू हा

5.3. इस स्कीम के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति तथा पीवीटीजी अभ्यर्थियों को चार 'वार्षिक यात्रा अनुदान' भी प्रदान किए जाते हैं। यात्रा अनुदान ऐसे उम्मीदवारों के लिए पूरे वर्ष भर खुले हैं जो विदेश में स्नातकोत्तर अध्ययनों, अनुसंधान या प्रशिक्षण के लिए किसी विदेशी विश्विविद्यालय/सरकार या किसी अन्य योजना के अंतर्गत प्रतिभा-छात्रवृत्ति प्राप्त करते हैं ,जहां यात्रा की लागत नहीं दी जाती है। इस योजना में इकोनॉमी-क्लास द्वारा भारत से आने-जाने के लिए अनुदान उपलब्ध है।

5.4. पिछले तीन वर्षों का ब.अ., सं.अ. और वास्तविक व्यय तथा 2022-23 के लिए बजट अनुमान निम्नवत है :

रुपये करोड़ में

2019-20			**2020-21**			**2021-22**			**2022-23**
ब.अ.	**स.अ.**	**व्यय**	**ब.अ.**	**स.अ.**	**व्यय**	**ब.अ.**	**स.अ.**	**व्यय (31 जनवरी 2022 तक)**	**ब.अ.**
2.00	2.00	2.00	2.00	4.76	4.76	3.00	5.00	2.46	4.00

5.5. योजना के तहत नियत लक्ष्य और उपलब्धियां निम्नवत है:-

2019-20			**2020-21**			**2021-22**			**2022-23**
लक्ष्य	**उपलब्धि**	**कमी, यदि कोई हो तो संक्षेप में बताएं**	**लक्ष्य**	**उपलब्धि**	**कमी, यदि कोई हो तो संक्षेप में बताएं**	**लक्ष्य**	**उपलब्धि**		**लक्ष्य**
20 आवेदकों को चुना जाना है	20 आवेदक	कोई कमी नहीं	20 आवेदकों को चुना जाना है	20 आवेदक	कोई कमी नहीं	20 आवेदकों को चुना जाना है	चयन प्रक्रिया जारी है	कोई कमी नहीं	20 आवेदकों को चुना जाना है

5.6. समिति ने सूचित किया कि वर्ष 2020-21 के लिए 20 विद्यार्थियों का चयन किया गया है और 2021-22 के लिए चयन प्रक्रिया चल रही है। वर्ष 2021-22 के लिए 3.00 करोड़ रुपये के बजट आवंटन की तुलना में 31.12.2021 तक 2.46 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है। शैक्षिक वर्ष 2021-22 के लिए आवेदन आमंत्रित की प्रक्रिया

चल रही है। अर्ह विद्यार्थियों के आवेदनों की जांच स्क्रीनिंग समिति द्वारा ऑनलाइन किया जाता है और प्रतिष्ठित संस्थानों के इंजीनियरिंग, चिकित्सा, प्रबंधन और कला संकाय के 10 विशेषज्ञों की विशेषज्ञ समिति द्वारा 20 विद्यार्थियों का चयन किया जाता है। चयन की प्रक्रिया एक समर्पित पोर्टल https://tribal.nic.in/nos.aspx के माध्यम से की जाती है जिस पर आवेदन मंगाए जाते हैं।

5.7. पिछले पांच वर्षों के दौरान विदेश में विभिन्न संस्थानों में उच्चतर अध्ययन के लिए नामांकित जनजातीय छात्रों की संख्या और नामांकित सभी छात्रों द्वारा सफलतापूर्वक अपना पाठ्यक्रम पूरा करने तथा मंत्रालय द्वारा नामांकित छात्रों द्वारा सफलतापूर्वक पाठ्यक्रम पूरा किए जाने के बारे में पूछे जाने पर जनजातीय कार्य मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में निम्नवत बताया:

> ''पिछले पांच वर्षों के दौरान विदेश में विभिन्न संस्थानों में उच्चतर अध्ययन के लिए 45 छात्रों का नामांकन किया गया है। पाठ्यक्रम की पूर्णता पाठ्यक्रमों की अवधि पर निर्भर करती है, जो 2 वर्ष से 5 वर्ष तक होती है। यह ध्यान दिया जा सकता है कि अंतिम रूप से चयनित उम्मीदवार चयन की सूचना की तारीख से दो साल के भीतर प्रवेश प्राप्त करेंगे और विदेश में एक मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान में शामिल होंगे। उम्मीदवारों को प्रवेश लेने और केवल मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों / संस्थानों में शामिल होने की आवश्यकता है। 2017-18 से पहले, उम्मीदवार को अपनी पसंद के संस्थान में शामिल होने के लिए तीन साल का समय दिया गया था। 2017-18 से इसे बदलकर दो साल कर दिया गया है। 2018-19 में समग्र (एंड टू एंड) डिजिटलीकरण लागू करने के बाद मंत्रालय ने छात्रों को ट्रैक करना शुरू किया। यह योजना भातीय दूतावासों के माध्यम से लागू किया जाता है और सफलतापूर्वक पाठ्यक्रम पूर्ण करने से संबंधित सूचना उनसे प्राप्त की जा रही है। वर्ष 2015-16 में 9 विद्यार्थियों ने विदेशों में पाठ्यक्रम में दाखिला लिया। 2016-17, 2017-18, 2018-19 और 2019-20 में क्रमश: 9, 12, 10 और 5 विद्यार्थियों ने विदेशी पाठ्यक्रमों में दाखिला लिया।"

5.8. छात्रवृत्तियों की संख्या बढ़ाने के लिए किसी वर्ग से अनुरोध प्राप्त होने के बारे में और पिछले पांच वर्षों के दौरान प्राप्त आवेदनों/स्वीकृति की संख्या सहित छात्रवृत्तियों की संख्या कब संशोधित किया गया, के बारे में पूछे जाने पर जनजातीय कार्य मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में निम्नवत बताया है :

> ''इस बात को ध्यान में रखते हुए कि छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले छात्र स्वयं कभी-कभी छात्रवृत्ति का लाभ उठाने में असमर्थ होते हैं, छात्रवृत्ति में वृद्धि का

प्रश्न ही नहीं उठता। 15 से 20 तक के स्लॉट का अंतिम संशोधन 2012-13 में किया गया था।''

5.9. योजना के तहत आवंटित निधियों को 2021-22 में खर्च नहीं किए जाने के कारणों के बारे में और मंत्रालय द्वारा 2022-23 में 4 करोड़ रुपये के बढ़े हुए आवंटन को खर्च किए जाने के बारे में पूछे जाने पर जनजातीय कार्य मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में निम्नवत बताया है :

"अंतिम रूप से चयनित उम्मीदवारों को चयन की सूचना की तारीख से दो साल के भीतर विदेश में एक मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान में प्रवेश प्राप्त करने और शामिल होने की अनुमति है। इसलिए बजट का सही अनुमान नहीं लगाया जा सकता है और अगले साल तक खर्च नहीं किया जा सकता है। यह योजना विदेश मंत्रालय के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है और भारतीय मिशन/दूतावास उस खर्च को वहन करते हैं जिसकी प्रतिपूर्ति इस मंत्रालय द्वारा की जाती है। चालू वर्ष 2021-22 के दौरान कोई कमी नहीं है। वास्तव में विदेश मंत्रालय से प्राप्त बिलों के आधार पर, योजना के आरई को 3.00 करोड़ 5.00 करोड़ रुपये से संशोधित किया गया था जिसका मार्च, 2022 तक पूर्ण रूप से उपयोग किया जाएगा।

चूंकि विदेश में पाठ्यक्रमों में शामिल होने वाले छात्रों की संख्या हाल के वर्षों में बढ़ रही है, तदनुसार योजना के तहत खर्च भी बढ़ रहा है। इसलिए, मंत्रालय 2022-23 में 4.00 करोड़ रुपये के बढ़े हुए आवंटन को खर्च करने में सक्षम होगा।"

5.10. इस योजना की स्थापना के बाद से विशेष रूप से देश और विशेष रूप से आदिवासियों के लिए अनुसंधान के क्षेत्र में की गई उल्लेखनीय उपलब्धियों के बारे में पूछे जाने पर, जनजातीय कार्य मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में प्रस्तुत किया कि:

"जनजातीय छात्रों को विदेश में अध्ययन करने और शोध अध्ययन के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय एक्सपोजर प्राप्त करने का अवसर मिल रहा है। कुछ छात्रों को अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद व्यावसायिक क्षेत्रों में काम करने का अवसर मिला है। वे सभी विषयों में उच्चतर शिक्षा में अवसरों की आकांक्षा रखने और उन तक पहुंचने के लिए अजजा समुदायों के छात्रों के लिए रोल मॉडल के रूप में भी काम कर रहे हैं।"

5.11. जहां तक इस योजना के अंतर्गत निष्पादन से संतुष्टि का संबंध है और जनजातीय छात्रों के हित में मंत्रालय इसमें और सुधार करने का क्या प्रस्ताव है, जनजातीय कार्य मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में प्रस्तुत किया है कि:

"इस योजना का प्रदर्शन संतोषजनक है क्योंकि यह जनजातीय छात्रों को शोध कार्य के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय एक्सपोजर प्राप्त करने का अवसर प्रदान कर रही है। यह जनजातीय छात्रों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में भी सुधार कर रहा है। पिछले कुछ वर्षों में, वास्तव में इस अवसर का लाभ उठाने वाले पुरस्कार विजेताओं की संख्या में भी लगातार वृद्धि हो रही है।"

5.12. समिति ने नोट किया है कि जनजातीय कार्य मंत्रालय विदेशों में उच्च अध्ययन करने के लिए प्रतिवर्ष 20 राष्ट्रीय विदेशी छात्रवृत्तियां प्रदान करता है, अर्थात् अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए 17 और 3 पीवीटीजी के छात्रों के लिए जिनकी वार्षिक आय सीमा 6 लाख रुपये है, समिति यह जानकर क्षुब्ध है कि पिछले पांच वर्षों के दौरान केवल 45 छात्रों को राष्ट्रीय विदेशी छात्रवृत्ति दी गई है और मंत्रालय द्वारा इस संबंध में लाभार्थियों की संख्या बढ़ाने के लिए कोई प्रयास नहीं किए गए हैं। 2021-22 में, ₹5 करोड़ की स्वीकृत राशि में से, समिति द्वारा अनुदान मांगों की जांच करने के समय तक केवल 2.46 करोड़ रुपये खर्च किए जा सके थे। समिति उन कारणों को समझने में असमर्थ है जिनके कारण अनुसूचित जनजाति के छात्रों और पीवीटीजी के छात्रों के लिए प्रत्येक वर्ष के लिए निर्धारित 20 राष्ट्रीय विदेशी छात्रवृत्तियां उनके द्वारा प्राप्त नहीं की जा रही हैं। इसलिए, समिति का यह दृढ़ मत है कि जनजातीय कार्य मंत्रालय को उन कारणों की पहचान करनी चाहिए जिनके कारण छात्रों द्वारा मात्र 20 विदेशी छात्रवृत्तियां भी प्राप्त नहीं की जाती हैं। साथ ही जैसा कि समिति द्वारा पहले ही दोहराया गया है जीवनयापन की बढ़ती लागत को ध्यान में रखते हुए, प्रतिवर्ष 6 लाख रुपये की आय पात्रता मानदंड निर्धारित करने में कोई खूबी नहीं है। समिति महसूस करती है कि मंत्रालय द्वारा आय पात्रता मानदंडो की समीक्षा करके आय सीमा को वार्षिक 10 लाख रुपये किये जाने का यह उचित समय है, इसकी नियमित रूप से समीक्षा की जानी चाहिए ताकि आवधिक अंतराल पर निर्धारित पात्रता आय मानदंड युक्तिसंगत हो सके और बड़ी संख्या में योग्य छात्रों को छात्रवृत्ति का लाभ उठाने का अवसर मिल सके। इसलिए समिति चाहती है कि जनजातीय कार्य मंत्रालय की गई कार्रवाई के चरण में आय मानदंडों की सुझाई गई समीक्षा के संबंध में विशिष्ट उत्तर प्रदान करे।

अध्याय - छह

विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) का विकास

6.1 जनजातीय आबादी में कुछ समूह ऐसे हैं जिनकी सदस्यों की संख्या घट रही है या स्थिर है, साक्षरता का स्तर निम्न और प्रौद्योगिकी कृषि-पूर्व स्तर की है और वे आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं। ये समूह सामान्यतः घटिया अवसंरचना एवं कम प्रशासनिक सहायता वाले सुदूर क्षेत्रों में निवास करते हैं। 18 राज्यों और एक संघ राज्य क्षेत्र में ऐसे 75 समूहों की पहचान की गई है और उन्हें विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

पीवीटीजी समुदायों के विकास हेतु योजना

6.2. पीवीटीजी समुदायों को केन्द्र सरकार जनजातीय कार्य मंत्रालय और राज्य सरकारों के जनजातीय कल्याण विभागों की सभी स्कीमों में सहायता दी जा रही है। यद्यपि, 1998-99 में ऐसे समुदायों के लिए एक समर्पित स्कीम शुरू की गई थी। पीवीटीजी के विकास के लिए यह अनन्य रूप से एक केन्द्र प्रायोजित स्कीम है और केन्द्र सरकार से 100% वित्त पोषित है। राज्य विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों की विकासात्मक गतिविधियों क्रमशः आवास, भूमि संवितरण, भूमि विकास, कृषीय वृद्धि, मवेशी विकास, संपर्क, प्रकाश के उद्देश्य के लिए ऊर्जा के गैर-परम्परागत स्रोतों की संस्थापना, सामाजिक सुरक्षा अथवा विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के व्यापक सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए अभिप्रेत कोई अन्य नवाचारी गतिविधियां पर ध्यान केन्द्रित करते हुए प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं। संरक्षण-सह-विकास योजनाएं (सीसीडी) राज्य सरकारों और संघ राज्यक्षेत्र अंडमान और निकोबार द्वीप समूह द्वारा, उनके द्वारा किए गए आधारभूत (बेसलाइन) या अन्य सर्वेक्षणों से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर अधिवास विकास दृष्टिकोण अपनाकर पांच वर्षों के लिए तैयार की जाती है और मंत्रालय की परियोजना आंकलन समिति द्वारा इन्हें अनुमोदित की जाती है।

6.3. मंत्रालय ने स्कीम की प्रत्यक्ष और वित्तीय प्रगति निगरानी के लिए आदिग्राम पोर्टल विकसित किया है। राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों में रहने वाली पीवीटीजी जनसंख्या का आंकलन करने हेतु राज्यों को बेसलाइन (आधारभूत) सर्वेक्षण करने के लिए कहा गया है। योजना का मूल्यांकन भारतीय लोक प्रशासन संस्थान (आईआईपीए) द्वारा किया गया है। आईआईपीए की प्रमुख सिफारिशें इस प्रकार है।सभी राज्यों को सीसीडी योजना के तहत सूक्ष्म योजना परियोजनाओं का गठन करना चाहिए,जिसमें न केवल बुनियादी ढांचे के विकास पर जोर दिया जाए बल्कि पारंपरिक आजीविका और कौशल विकास को भी मजबूत किया जाए। सीसीडी योजनाओं में 3 से 5 वर्ष का दीर्घकालीन दृष्टिकोण होना चाहिए।पेयजल और स्वच्छता का प्रावधान, सिंचाई के बुनियादी ढांचे का निर्माण

और पीवीटीजी आवास की सभी मौसम सड़कों के साथ कनेक्टिविटी (संपर्क)।पीवीटीजी समुदायों के लिए उप केंद्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के निर्माण के लिए मानदंडों में छूट। यह उल्लेख करने के प्रावधान के साथ जाति प्रमाण पत्र जारी करना कि व्यक्ति मिशन मोड में पीवीटीजी समुदाय से है। वन उपजों का उचित मूल्य सुनिश्चित करने के लिए पीवीटीजी क्षेत्रों में एमएफपी को एमएसपी योजना का कार्यान्वयन।वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के तहत वास अधिकारों की मान्यता।

6.4. 2022-23 के लिए बीई के साथ-साथ पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान पीवीटीजी के विकास की योजना के तहत किए गए आबंटन और व्यय का ब्यौरा इस प्रकार है।

(रुपये करोड़ में)

वर्ष	बीई	आरई	वास्तविक व्यय
2019-20	250.00	250.00	249.99
2020-21	250.00	140.00	140.00
2021-22	250.00	160.00	143.03 (31.12.2021 तक)
2022-23	262.00		

6.5. 2021-22 के दौरान, 31.12.2021 की स्थिति के अनुसार 12 राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों को 143.03 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। इस योजना के तहत 2019-20 से 2021-22 के दौरान जारी की गई निधियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण निम्नानुसार है:-

(रुपये लाख में)

क्रम सं	**राज्य /सं रा.क्षेत्र**	**2019-20**	**2020-21**	**2021-22**
1	आंध्र प्रदेश	3713.43	1245.51	1829.60
2	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.00	0.00	252.11
3	बिहार	0.00	0.00	0.00
4	छत्तीसगढ़	1311.35	989.32	996.90
5	गुजरात	429.05	552.20	761.80
6	झारखंड	847.00	1777.29	0.00
7	कर्नाटक	1933.01	438.46	661.17

8	केरल	0.00	88.00	0.00
9	मध्य प्रदेश	8064.89	2188.11	2888.69
10	महाराष्ट्र	2510.00	1411.66	0.00
11	मणिपुर	0.00	0.00	0.00
12	ओडिशा	976.38	1202.00	1197.00
13	राजस्थान	968.10	968.00	706.17
14	तमिलनाडु	819.48	551.08	1967.81
15	तेलंगाना	538.50	1460.50	1193.04
16	त्रिपुरा	1960.82	231.43	1481.71
17	उत्तर प्रदेश	0.00	82.04	0.00
18	उत्तराखंड	489.53	295.00	367.07
19	पश्चिम बंगाल	437.47	519.40	0.00
	कुल	**24999.01**	**14000.00**	**14303.07**

6.6. इस योजना के तहत निर्धारित लक्ष्य और हासिल की गई उपलब्धियों के संबंध में मंत्रालय ने प्रस्तुत किया है कि:-

> "राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को पीवीटीजी सहायता के विकास की स्कीम गैप फिलिंग हस्तक्षेप प्रकृति की है और यह किसी विशिष्ट प्रकार के मात्रात्मक उपायों तक ही सीमित नहीं है। उठाए जाने वाले कार्यकलापों की प्राथमिकता संबंधित राज्य सरकारों द्वारा समय-समय पर उत्पन्न होने वाली आवश्यकता के अनुसार निर्धारित की जाती है। वास्तविक लक्ष्य वास्तव में मंत्रालय द्वारा निर्धारित नहीं किए जाते हैं और न ही मंत्रालय के लिए वास्तविक लक्ष्यों/उपलब्धियों को इंगित करना व्यवहार्य है।"

राशि (लाख रुपये में)

विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के विकास की योजना के तहत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार निधि आवंटन का विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	राज्यवार शेयर वित्त वर्ष 2021-22	वित्तीय वर्ष 2017-18			वित्तीय वर्ष 2018-19			वित्तीय वर्ष 2019-20			वित्तीय वर्ष 2020-21			वित्तीय वर्ष 2021-22		
			आवंटन	व्यय	यूसी लंबित	आवंटन	व्यय	यूसी लंबित	आवंटन	व्यय	यूसी लंबित	आवंटन	व्यय	यूसी लंबित	आवंटन	व्यय	यूसी लंबित (जीजीए)
1.	आंध्र प्रदेश	*1918.00*	2076.00	2076.00	**0.00**	1837.00	1837.00	**0.00**	3713.43	3713.43	**0.00**	1245.51	258.60	**986.91**	1829.60	0.00	**278.60**
2.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	*250.00*	200.00	200.00	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	252.11	0.00	**2.11**
3.	बिहार	*250.00*	295.91	158.47	**137.44**	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**
4.	छत्तीसगढ़	*1006.00*	1089.50	1089.50	**0.00**	1051.50	1051.50	**0.00**	1311.35	1311.35	**0.00**	989.32	989.32	**0.00**	996.90	0.00	**726.90**
5.	गुजरात	*577.00*	390.67	390.67	**0.00**	604.00	604.00	**0.00**	429.05	429.05	**0.00**	552.20	552.20	**0.00**	761.80	0.00	**544.60**
6.	झारखंड	*2530.00*	2047.03	2047.03	**0.00**	3295.79	3295.79	**0.00**	847.00	847.00	**0.00**	1777.29	1777.29	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**
7.	कर्नाटक	*440.00*	467.00	467.00	**0.00**	460.00	460.00	**0.00**	1933.01	1933.01	**0.00**	438.46	197.96	**240.50**	661.17	0.00	**240.00**
8.	केरल	*250.00*	62.00	0.00	**62.00**	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	88.00	0.00	**88.00**	0.00	0.00	**0.00**
9.	मध्य प्रदेश	*8228.00*	8232.46	7905.72	**327.00**	7998.09	5642.08	**2356.01**	8064.89	6158.10	**1906.79**	2188.11	0.00	**2188.11**	2888.69	0.00	**0.00**
10.	महाराष्ट्र	*1504.00*	1226.25	1226.25	**0.00**	1230.26	1230.26	**0.00**	2510.00	402.68	**2107.32**	1411.66	0.00	**1411.66**	0.00	0.00	**0.00**
11.	मणिपुर	*239.00*	195.00	195.00	**0.00**	1157.55	276.53	**881.02**	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**
12.	ओडिशा	*1197.00*	1297.00	1297.00	**0.00**	3626.00	3626.00	**0.00**	976.38	976.38	**0.00**	1202.00	1202.00	**0.00**	1197.00	0.00	**502.00**
13.	राजस्थान	*964.00*	1038.00	1038.00	**0.00**	1008.00	1008.00	**0.00**	968.10	968.10	**0.00**	968.00	914.24	**53.76**	706.17	0.00	**548.17**
14.	तमिलनाडु	*2212.00*	1770.75	1750.75	**20.00**	0.00	0.00	**0.00**	819.48	390.58	**428.90**	551.08	175.25	**375.83**	1967.81	0.00	**382.48**
15.	तेलंगाना	*716.00*	778.00	778.00	**0.00**	533.00	533.00	**0.00**	538.50	538.50	**0.00**	1460.50	1460.50	**0.00**	1193.04	0.00	**365.54**
16.	त्रिपुरा	*1630.00*	2305.00	2305.00	**0.00**	789.53	789.53	**0.00**	1960.82	1719.93	**195.09**	231.43	173.36	**4.00**	1481.71	0.00	**739.11**
17.	उत्तराखंड	*474.00*	130.00	130.00	**0.00**	565.86	565.86	**0.00**	489.53	23.10	**466.43**	295.00	0.00	**295.00**	367.07	0.00	**0.00**
18.	उत्तर प्रदेश	*100.00*	17.96	0.00	**17.960**	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	82.04	0.00	**82.04**	0.00	0.00	**0.00**
19.	पश्चिम बंगाल	*415.00*	330.75	330.75	**0.00**	843.42	843.42	**0.00**	437.47	437.47	**0.00**	519.40	0.00	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**
प्रशासन एमएण्डई:		*100.00*	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
कुल:		***25000.00***	**23949.28**	**23385.14**	**564.40**	**25000.00**	**21762.97**	**3237.03**	**24999.01**	**19848.68**	**5104.53**	**14000.00**	**7700.72**	**5725.81**	**14303.07**	**0.00**	**4329.51**

बजट परिव्यय:	ब.अ. **2017-18:**	**27000.00**	ब.अ. **2018-19:**	**26000.00**	ब.अ. **2019-20:**	**25000.00**	ब.अ. **2020-21:**	**25000.00**	ब.अ. **2021-22:**	**25000.00**
	सं.अ. **2017-18:**	**24000.00**	सं.अ. **2018-19:**	**25000.00**	सं.अ. **2019-20:**	**25000.00**	सं.अ. **2020-21:**	**14000.00**	सं.अ. **2021-22:**	**16000.00**

6.7. समिति ने पाया कि विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के विकास के लिए बनाई गई योजना के तहत मंत्रालय 160 करोड़ रुपये के कुल संशोधित अनुमान में से 31 दिसंबर, 2021 तक 143.03 करोड़ रुपये खर्च करने में सक्षम रहा है। जैसा कि इस योजना के अंतर्गत परिकल्पित किया गया है, 18 राज्यों और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के संघ राज्य क्षेत्र में फैले 75 चिन्हित पीवीटीजी के लिए राज्य सरकारों द्वारा विकासात्मक कार्यकलापों अर्थात् आवास, कनेक्टिविटी, ऊर्जा के गैर-पारंपरिक स्त्रोतों की स्थापना, पशु विकास, भूमि विकास, कृषि विकास आदि पर ध्यान केन्द्रित करते हुए प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाने हैं। समिति ने नोट किया कि वर्ष 2019-20, 2020-21 के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बिहार, मणिपुर उत्तर प्रदेश जैसे कई राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र को कोई निधि नहीं मिली। समिति जारी की गई निधियों में इतनी भारी गिरावट के कारणों को समझ नहीं पाई है, खासकर जब ऐसे विभिन्न क्षेत्र हैं जहां निधियों का उपयोग किया जा सकता है। समिति इस बात से भी अप्रसन्न है कि राज्यों ने पीवीटीजी की जनसंख्या का आकलन नहीं किया है और मंत्रालय ने उन्हें पीवीटीजी की जनसंख्या का आकलन करने के लिए कहा गया है। हालांकि इस कार्य के लिए कोई समय तय नहीं किया गया है। समिति चाहेगी कि यह कार्य एक निश्चित समय-सीमा में पूरा किया जाए। समिति को जानकारी दी जाये कि क्या पीएमएएजीवाई के तहत 36,428 गांवों के कवरेज में पीवीटीजी को भी शामिल किया जाएगा।

अध्याय - सात

जनजातीय अनुसंधान संस्थानों (टीआरआई) के लिए सहायता

7.1 देश भर में 27 जनजातीय अनुसंधान संस्थान (टीआरआई) हैं, जो संबंधित राज्य सरकारों द्वारा स्थापित और प्रशासनिक रूप से समर्थित हैं। यह परिकल्पना की गई है कि जनजातीय अनुसंधान संस्थानों (टीआरआई) को, साक्ष्य आधारित आयोजना तथा उपयुक्त विधानों, जनजातीय लोगों तथा जनजातीय कार्य से जुड़े व्यक्तियो/संस्थानों की क्षमता निर्माण, सूचना के प्रसार व जागरूकता निर्माण, जनजातीय सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण हेतु कम या अधिक विचारक-मण्डल (थिंक-टैंक) तथा एक अनुसंधान निकाय के रूप में कार्य करना चाहिए।

7.2. जनजातीय कार्य मंत्रालय, इन जनजातीय अनुसंधान संस्थानों (टीआरआई) को उनकी अवसंचनात्मक जरूरतों, अनुसंधान और प्रलेखन गतिविधियों और प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रमों आदि में सुदृढ़ीकरण के लिए "टीआरआई को सहायता" योजना के तहत वित्तीय सहायता प्रदान करता है। मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार दिसंबर, 2017 में 'टीआरआई को सहायता' योजना के तहत की जाने वाली गतिविधियां इस प्रकार हैं: टीआरआई (एस)/राष्ट्रीय टीआरआई के लिए आधुनिक भवन। गृह - व्यवस्था (हाउस - कीपिंग), दैनिक अनुरक्षण, उपयोग बिल आदि जैसे दैनिक रख-रखाव को छोड़कर, मौजूदा टीआरआई भवन की मरम्मत/विस्तार/उन्नयन। वास्तविक संग्रहालयों सहित जनजातीय संग्रहालय/स्मारक स्थापित करने के लिए सहायता। डिजिटल कोष (रिपोजिटरी) सहित पुस्तकालय स्थापित करने के लिए सहायता। टीआरआई भवन में सम्मेलन कक्ष, प्रशिक्षण/ संसाधन केन्द्र, प्रशिक्षण छात्रावास। टीआरआई/संग्रहालय परिसर में अथवा राज्य में अन्य स्थानों पर जनजातीय भोजन (फूड) कैफे, कारीगर कॉर्नर, जनजातीय कला तथा कारीगरी की प्रर्दशनी-सह-बिक्री केन्द्र, स्मारक इत्यादि स्थापित करना।

7.3. जनजातीय कार्य मंत्रालय अद्वितीय सांस्कृतिक विरासत और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जनजातीय त्योहारों /यात्राओं का आयोजन करता है तथा "जनजातियों द्वारा यात्राओं का आदान-प्रदान" आयोजित करता है ताकि वे संस्कृति और परंपराओं का व्यापक परिप्रेक्ष्य अथवा पृष्ठभूमि जान सकें, सामाजिक-आर्थिक विकास /अन्य क्षेत्रों की सर्वोत्तम प्रथाओं को सीख सकें। इस योजना के अंतर्गत 60 करोड़ रुपए की स्वीकृत राशि में से 31 दिसंबर 2021 तक 34.89 करोड़ रुपए का उपयोग कर लिया गया है।

7.4. 2022-23 के लिए बजटीय अनुमानों के साथ पिछले तीन वर्षों के लिए बजट अनुमान, संशोधित अनुमान और वास्तविक व्यय इस प्रकार है:-

रुपये करोड़ में

2019-20			2020-21			2021-22			2022-23
बीई	आरई	व्यय	बीई	आरई	व्यय	बीई	आरई	व्यय (31.01.2022 तक)	बीई
100.00	110.00	109.98	110.00	60.00	60.00	120.00	60.00	34.89	121.00

7.5. यह पूछे जाने पर कि क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान योजना के तहत किया गया बजटीय आवंटन योजना की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त था तथा 2020-21 और 2021-22 के दौरान आरई चरण में आवंटन को कम करने और 2021-22 में आवंटन खर्च करने में सक्षम नहीं होने के कारणों का विवरण क्या है, जनजातीय कार्य मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में बताया कि:

"योजना के तहत निधि की आवश्यकता राज्य जनजातीय अनुसंधान संस्थानों द्वारा तैयार की गई बजटीय आवश्यकता के साथ प्रस्तावों और विस्तृत कार्य योजनाओं पर आधारित है। इस योजना के तहत, जनजातीय कार्य मंत्रालय ने राज्य सरकारों को उनकी ढांचागत जरूरतों, अनुसंधान और प्रलेखन गतिविधियों और प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रमों, अद्वितीय सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने के लिए जनजातीय त्योहारों / यात्राओं के आयोजन और जनजातियों द्वारा पर्यटन और विनिमय यात्राओं के आयोजन में जनजातीय अनुसंधान संस्थानों (टीआरआई) को मजबूत करने के लिए सहायता प्रदान करता है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान बजटीय आवश्यकताएं पर्याप्त थीं जैसा कि नीचे दी गई तालिका से स्पष्ट है, मंत्रालय 2018-19 और 2019-20 के दौरान आरई स्तर पर अपने आवंटन का उपयोग करने में सक्षम था।

हालांकि, 2020-21 और 2021-22 के दौरान, योजना के तहत क्षेत्र स्तर पर गतिविधियों का कार्यान्वयन, कोविड स्थिति से प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुआ है, जिसके परिणामस्वरूप राज्यों के पास लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा हो गए हैं। इसके परिणामस्वरूप 2020-21 और 2021-22 के दौरान आरई चरण में आवंटन में कमी आई है। 2021-22 में आवंटन खर्च न कर पाने के कारणों के संबंध में, यह प्रस्तुत किया जाता है कि चालू वित्तीय वर्ष के दौरान 60.00 करोड़ रुपये के आरई आवंटन का उपयोग किए जाने की उम्मीद है।"

7.6. यह पूछे जाने पर कि पिछले पांच वर्षों के दौरान योजना के तहत उल्लेखनीय उपलब्धि क्या रही है और जनजातीय अनुसंधान संस्थानों में किए गए शोध से जनजातियों को क्या लाभ हुआ है, जनजातीय कार्य मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में बताया कि:

(क) जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय:

जनजातीय कार्य मंत्रालय, ने जनजातीय लोगों के वीरता और देशभक्ति के कार्यों को मान्यता देने के लिए जिन्होंने अग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया और झुकने से इंकार कर दिया ताकि आने वाली पीढ़ियों जान सकें की देश के बलिदान देने में जनजातीय कैसे शामिल हुए थे, राज्य सरकारों के साथ सहयोग से हमारे देश के विभिन्न हिस्सों में जनजातीय स्वंतत्रता सेनानियों के सग्रहालयों की स्थापना के लिए कदम उठाए हैं। जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों के संग्रहालय अपने स्थान के कारण पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बनने जा रहे हैं; वास्तुकला और ऑडियो-वीडियो डिस्प्ले तैयार किए जा रहे हैं और ये जनजातीय संस्कृति, हस्तशिल्प और जनजातीय कला को संरक्षित और बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। ये संग्रहालय जनजातियों द्वारा अपने वनों, भूमि अधिकारों, अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए जनजातियों द्वारा संघर्ष करने के तरीके को भी प्रदर्शित करेंगे और देश की जैविक और सांस्कृतिक विविधता को प्रदर्शित करेंगे, जिसे राष्ट्र निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है।

स्वीकृत जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालयों का विवरण इस प्रकार है:

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	राज्य	स्थान	परियोजना की लागत	स्वीकृति का वर्ष	जनजातीय कार्य मंत्रालय प्रतिबद्धता	निर्मुक्त् निधि
1	गुजरात	राजपिपला	137.01	2017-18	50.00	50.00
2	झारखंड	रांची	36.66	2017-18	25.00	25.00
3	आंध्र प्रदेश	लम्बासिंगी	35.00	2017-18	15.00	7.50
4	छत्तीसगढ	रायपुर	25.66	2017-18	15.00	4.65
5	केरल	कोझिकोड	16.16	2017-18	15.00	7.50
6	मध्य प्रदेश	छिंदवाड़ा	38.26	2017-18	15.00	6.93
7	तेलंगाना	हैदराबाद	18.00	2018-19	15.00	1.00
8	मणिपुर	तामेंगलांग	51.38	2018-19	15.00	1.00
9.	मिजोरम	केल्सिहो	15.00	2019-20	15.00	12.00
10.	गोवा	पोंडा	30.00	2020-21	15.00	0.10
			कुल		195.00	115.68

पुरानी बिरसा मुंडा जेल, रांची में बिरसा मुंडा जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय, रांची का काम पूरा हो गया है और संग्रहालय का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 15.11.2021 को वर्चुअली किया गया था।

(ख) टीआरआई बुनियादी ढांचा:

यद्यपि जनजातीय विकास के लिए एक थिंक टैंक के रूप में ज्ञान और अनुसंधान के निकाय के रूप में काम करने की परिकल्पना की गई थी, कई टीआरआई में आवश्यक बुनियादी ढांचे की कमी थी। तदनुसार, राज्य जनजातीय अनुसंधान संस्थानों के बुनियादी ढांचे और सुविधाओं को सुधारने के लिए, मंत्रालय ने राज्य टीआरआई को वित्तीय सहायता प्रदान की है। नवीन एवं मौजूदा टीआरआई का विवरण जिन्हें योजना के तहत निर्माण हेतु निधियॉ प्रदान की गई है और निर्माण की स्थिति निम्नानुसार है।

क्र.सं.	राज्य	स्थान	भवन की स्थिति
1	उत्तराखंड	देहरादून	पूरा हुआ
2	आंध्र प्रदेश	विशाखापत्तनम	पूरा हुआ
3	अरुणाचल प्रदेश	नाहरलगुन	निर्माणाधीन
4	जम्मू और कश्मीर	श्रीनगर	निर्माणाधीन
5	मिजोरम	आइजोल	निर्माणाधीन
6	नगालैंड	कोहिमा	निर्माणाधीन
7	मेघालय	वेस्ट गारो हिल्स	निर्माणाधीन
8	तेलंगाना	हैदराबाद	निर्माणाधीन
9	त्रिपुरा	पश्चिम त्रिपुरा	निर्माणाधीन
10	मणिपुर	इंफाल	निर्माण अभी शुरू होना बाकी
11	गोवा	दक्षिण गोवा	निर्माण अभी शुरू होना बाकी

(ग) जनजातीय संस्कृति और विरासत का संरक्षण:

मंत्रालय ने इस योजना के तहत जनजातीय संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न गतिविधियों को मंजूरी दी है जैसा कि नीचे दिखाया गया है:

(क) समृद्ध जनजातीय सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने पर ऑडियो विजुअल वृत्तचित्रों सहित अनुसंधान अध्ययन/पुस्तकों/दस्तावेजों का प्रकाशन जिसमें जनजातीय भाषाओं का संरक्षण शामिल है। टीआरआई को सहायता योजना के तहत पिछले 2-3 वर्षों के दौरान टीआरआई को स्वीकृत ऐसी गतिविधियों का विवरण

(ख) जनजातीय सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम।

(ग) जनजातीय चिकित्सकों और औषधीय पौधों आदि द्वारा स्वदेशी प्रथाओं/पद्धतियों का अनुसंधान और दस्तावेजीकरण। विभिन्न घटकों के तहत स्वीकृत परियोजनाओं का विवरण मंत्रालय की वेबसाइट और पोर्टल की प्रगति की निगरानी के लिए जनजातीय.nic.in और tri.tribal.gov पर देखा जा सकता है।

(घ) समृद्ध जनजातीय सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित और बढ़ावा देने के लिए और दूसरों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए, खोज योग्य डिजिटल ज्ञान भंडार (रिजोजिटरी) विकसित किए गए हैं जहां सभी शोध पत्र, किताबें, रिपोर्ट और दस्तावेज, लोक गीत, फोटो / वीडियो अपलोड किए जाते हैं, इस भंडार में वर्तमान में 10,000 से अधिक फोटोग्राफ हैं, वीडियो और प्रकाशन हैं जो ज्यादातर टीआरआई द्वारा किए जाते हैं। रिपॉजिटरी को https://repository.tribal.gov.in/ (ट्राइबल डिजिटल डॉक्यूमेंट रिपोजिटरी) और https://tribal.nic.in/repository/ (ट्राइबल रिपोजिटरी) पर देखा जा सकता है।

7.7. यह पूछे जाने पर कि पिछले पांच वर्षों के दौरान कितने कौशल विकास कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं और कितने लोगों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया है और क्या मंत्रालय इस दिशा में प्रगति के स्तर से संतुष्ट है, जनजातीय कार्य मंत्रालय ने बताया कि:

"टीआरआई को सहायता योजना के तहत मंत्रालय द्वारा पिछले पांच वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों में 258 गतिविधियों जैसे सेमिनार, प्रशिक्षण/क्षमता निर्माण कार्यशालाओं को मंजूरी दी गई है जिससे जनजातीय आबादी के कौशल स्तर को बढ़ाने में मदद मिलेगी।

ऐसे कार्यक्रमों की निगरानी को मजबूत करने और एक एकीकृत डेटाबेस बनाने के लिए, आदि प्रशिक्षण पोर्टल (https://adiprashikshan.tribal.gov.in/) विकसित किया गया है जो जनजातीय कार्य मंत्रालय और राज्य जनजातीय विकास/कल्याण विभाग के साथ-साथ जनजातीय विकास के लिए जिम्मेदार अन्य नोडल एजेंसियां द्वारा संचालित सभी प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए एक केंद्रीय डेटाबेस प्रदान करेगा। यह पोर्टल देश भर में आयोजित किए जा रहे विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के बारे में जानकारी को एक साथ लाने में सक्षम बनाता है, जिसमें योजना के तहत आयोजित प्रशिक्षण, ईएमआरएस डिवीजन और राज्यों द्वारा प्रशिक्षण सहित जनजातीय विकास के प्रमुख कार्यक्रम शामिल हैं। पोर्टल पर उपलब्ध सूचना के अनुसार आज की तिथि में 113 पंजीकृत प्रशिक्षक एवं 21370 प्रशिक्षु एवं 396 प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहे हैं। क्षेत्रवार और तिथिवार विवरण पोर्टल पर देखे जा सकते हैं।"

7.8. यह पूछे जाने पर कि क्या बजटीय अनुमान 2022-23 आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त होगा तथा वर्ष के दौरान प्रस्तावित जनजातीय त्योहारो/यात्राओं सहित लक्षित कार्यों का ब्यौरा क्या है, जनजातीय कार्य मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में बताया कि:-

> "यह प्रस्तुत किया जाता है कि बजटीय अनुमान 2022-23 आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त होगा क्योंकि ये योजना के तहत पिछले वर्षों के खर्च के पैटर्न पर आधारित हैं और राज्य को जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों के संग्रहालयों को पूरा करने के लिए निधियों की आवश्यकता भी हो सकती है, जिन्हें योजना अगले वित्तीय वर्ष के दौरान योजना के तहत समर्थित किया जा रहा है। तथापि, जैसा कि ऊपर बिंदु (iii) के उत्तर में कहा गया है, यह प्रस्तुत किया जाता है कि वास्तविक निधि आवश्यकता प्रस्तावों और विस्तृत कार्य योजनाओं के साथ-साथ राज्य जनजातीय अनुसंधान संस्थानों से प्राप्त होने वाली बजटीय आवश्यकता पर आधारित होगी। इसके अलावा मंत्रालय पिछले वर्षों में भी नियमित राज्य स्तरीय त्योहारों का वित्त पोषण करता रहा है और प्रस्तावों की प्राप्ति के मामले में, मंत्रालय तेलंगाना में मेदारम जतारा, नागालैंड में हॉर्नबिल त्योहार आदि जैसे त्योहारों के वित्तपोषण पर विचार करेगा।"

7.9. मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार नीति आयोग द्वारा टीआरआई को सहायता योजना का मूल्यांकन 2019 के दौरान केपीएमजी के माध्यम से किया गया है। केपीएमजी ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित सिफारिशें/सुझाव प्रस्तुत किए:

1. एक थिंक-टैंक के रूप में टीआरआई के उद्देश्य को फिर से डिजाइन करने पर अधिक जोर दिया जाना चाहिए, अन्य जनजातीय योजनाओं के साथ-साथ गैर सरकारी संगठनों, प्रतिष्ठित संस्थानों और संबंधित विभागों के साथ अधिक से अधिक अभिसरण सुनिश्चित करना चाहिए।

2. अच्छी गुणवत्ता वाले शोध के साथ-साथ अधिक से अधिक सामुदायिक भागीदारी सुनिश्चित करना भी महत्वपूर्ण है।

3. मंत्रालय द्वारा ओओएमएफ योजना को सालाना ट्रैक और मॉनिटर करने की आवश्यकता है।

4. योजना को इसके युक्तिकरण और अधिक प्रभाव के लिए निम्नलिखित अशोधनों को शुरू करना चाहिए –

    (i) अनुसंधान गतिविधियों की गुणवत्ता के साथ-साथ अनुसंधान विशेषज्ञों की अधिक भागीदारी पर अधिक जोर देना।

(ii) मानव संसाधन की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए निधि की उपलब्धता और उपयोग की समय-सीमा के संदर्भ में निधि प्रवाह प्रणाली में समग्र सुधार।

(iii) राज्य के टीआरआई में संस्थागत ढांचे को मजबूत करना और उनकी क्षमता निर्माण में निवेश करना।

(iv) योजना के हस्तक्षेपों की आवधिक निगरानी और मूल्यांकन और अंतिम लाभार्थियों पर उनके प्रभाव द्वारा निगरानी और परिणाम ढांचे में सुधार करना।

(v) सरकार के साथ शोधकर्ताओं का अधिक संपर्क।

7.10. रिपोर्ट की सिफारिशों/सुझावों को 2021-22 से 2025-26 की अवधि तक जारी रखने के लिए योजना के मूल्यांकन के लिए ध्यान में रखा गया है।"

7.11. टीआरआई के संबंध में समिति को यह नोट करके आश्चर्य हुआ है कि जनजातीय कार्य मंत्रालय 2020-21 और 2021-22 के लिए क्रमशः 110.00 करोड़ रुपये और 120 करोड़ रुपये के बजटीय अनुमान में से वर्ष 2020-21 के दौरान केवल 60.00 करोड़ रुपये और 2021-22 के दौरान (31 जनवरी, 2022 तक) 34.89 करोड़ रुपये खर्च करने में सक्षम रहा है। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने स्वयं कहा है कि कई टीआरआई में आवश्यक अवसंरचना की कमी है। ऐसी स्थिति में, टीआरआई को आदिवासी विकास के लिए ज्ञान और अनुसंधान और एक थिंक टैंक के रूप में काम करना संभव नहीं हैं। समिति का मानना है कि जनजातीय सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण, आदिवासियों और जनजातीय मामलों से जुड़े व्यक्तियों/संस्थाओं के क्षमता निर्माण आदि के लिए जनजातीय बहुल क्षेत्रों में पर्याप्त गुंजाइश है। तथापि, इस योजना के अंतर्गत परिकल्पित कार्य पूरी तरह से शुरू नहीं हुआ है, संभवत मंत्रालय के लापरवाही पूर्ण रवैये और राज्य सरकारों तथा अन्य हितधारकों के बीच जागरूकता की कमी के कारण ऐसा हुआ है । इसलिए समिति का यह दृढ़ मत है कि जनजातीय सांस्कृतिक विरासत को भावी पीढ़ियों के लिए संरक्षित किए जाने की आवश्यकता है । समिति 15 नवंबर को 'जनजातीय गौरव दिवस' के रूप में घोषित करने को एक सही कदम मानते हुए मंत्रालय को विशिष्ट सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने के लिए जनजातीय उत्सवों/यात्राओं के आयोजन में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को प्रोत्साहित करने और पर्यटन को बढ़ावा देने और आदिवासियों द्वारा आदान-प्रदान यात्राओं के आयोजन के लिए भी प्रोत्साहित करने का सुझाव देती है ताकि जनजातीय संस्कृति प्रथाओं, भाषाओं को संरक्षित किया जा सके।

जहां तक 27 जनजातीय अनुसंधान संस्थानों (टीआरआई) का संबंध है, समिति को यह जानकर प्रसन्नता हुई है कि देहरादून और विशाखापत्तनम में स्थित टीआरआई में कार्य पूरा हो चुका है। तथापि, नाहरलगुन, श्रीनगर, आइजोल, कोहिमा, पश्चिमी गारो हिल्स, हैदराबाद और पश्चिमी त्रिपुरा जैसे कई स्थानों पर कार्य अभी भी पूरा नहीं हुआ है और टीआरआई, इम्फाल

और टीआरआई, दक्षिण गोवा में निर्माण कार्य अभी शुरू भी नहीं हुआ है। समिति का दृढ़ मत है कि टीआरआई का कार्य समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए और सभी टीआरआई के निर्माण कार्य को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए ईमानदारी से प्रयास किए जाने चाहिए।

7.12. समिति यह जानकर क्षुब्ध है कि 2017-18 से स्वीकृत जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों के संग्रहालयों की स्थापना के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। हाल में, केवल रांची में एक बिरसा मुंडा जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का कार्य पूरा हुआ और उसका उद्घाटन हुआ है। समिति की दृढ राय है कि लक्ष्य की तारीख के अभाव में संभावना है कि काम में अनावश्यक रूप से देरी होगी और लागत बढ़ जाएगी। इसलिए, समिति जनजातीय कार्य मंत्रालय से यह चाहेगी कि वह परियोजना की मंजूरी के समय कार्य पूरा करने के लिए लक्ष्य तिथि निर्धारित करे ताकि विलंब और लागत में वृद्धि को रोका जा सके और यह भी सुनिश्चित किया जा सके कि जारी की गई निधि को निष्क्रिय न रखा जाए। समिति यह भी चाहेगी कि मंत्रालय राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को जनजातीय संग्रहालयों की स्थापना के लिए प्रस्ताव भेजने के लिए राजी करे, विशेषरूप से जहां से प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं क्योंकि 2017-18 से केवल 10 संग्रहालयों को मंजूरी दी गई है। समिति यह भी चाहती है कि उसे स्वीकृत संग्रहालयों की स्थिति के बारे में अवगत कराया जाए।

अध्याय - आठ

लघु वन उपज (एमएफपी) का विपणन तथा एमएफपी के लिए मूल्य श्रृंखला

8.1. "न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के माध्यम से लघु वन उत्पाद (एमएफपी) के विपणन हेतु तंत्र तथा एमएफपी के लिए मूल्य श्रृखंला का विकास" वर्ष 2013-14 में प्रारंभ की गई एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम है जो उन एमएफपी संग्रहकर्ताओं के सामाजिक सुरक्षोपाय के रूप में आरंभ की गई जो मुख्यतः अनुसूचित जनजातियों के सदस्य हैं। यह योजना संग्रहण, प्राथमिक प्रसंस्करण, भंडारण, पैकिंग, परिवहन, आदि में उनके प्रयासों के लिए उचित लाभ सुनिश्चित करने के लिए एक प्रणाली स्थापित करने का प्रयास करती है। यह कटौती की गई लागत के साथ बिक्री आय से राजस्व का हिस्सा प्राप्त करने का भी प्रयास करती है। इसका उद्देश्य स्थिरता के लिए अन्य मुद्दों का समाधान करना भी है।

8.2. इस स्कीम में, चयनित लघु वन उत्पादों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य के निर्धारण और घोषणा की परिकल्पना की गई है। किसी एमएफपी वस्तु का प्रचलित बाजार मूल्य, निर्धारित एमएसपी मूल्य से कम हो जाने के मामले में पूर्व नियत न्यूनतम समर्थन मूल्य पर प्रापण व विपणन का प्रचालन निर्दिष्ट राज्य एजेंसियों द्वारा किया जाएगा। इसके साथ-साथ ही अन्य मध्यम व दीर्घकालिक मुद्दों जैसे निरंतर संग्रहण, मूल्य वृद्धि, अवसंरचना विकास, लघु वन उत्पादों का ज्ञान आधारित विस्तार, बाजार आसूचना विकास का समाधान भी किया जाएगा। एमएफपी के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य और संस्थागत सहायता की चल रही योजनाओं को मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन (पीएमजेवीएम) के अंतर्गत युक्तिसंगत और विलय किए जाने का प्रस्ताव किया गया है। इसलिए, वर्ष 2022-23 के लिए सीएसएस योजना यानी "2022-23 के दौरान संस्थागत सहायता'' के तहत 499.00 करोड़ रुपये के बजट की मांग की गई है।

8.3. जनजातियों का पारिश्रमिक बढ़ाने के लिए, जनजातीय कार्य मंत्रालय ने अधिसूचना संख्या एफ.सं19/17/2018-आजीविका दिनांक 01 मई 2020 के माध्यम से योजना के तहत पहले से अधिसूचित 50 एमएफपी वस्तुओं के लिए एमएसपी को संशोधित किया। इसके अलावा, योजना के तहत एमएफपी वस्तुओं की कवरेज को जनजातीय कार्य मंत्रालय की अधिसूचना संख्या एफ.सं. 19/17/2018-आजीविका दिनांक 26/05/2020 के माध्यम से अखिल भारतीय संकेन्द्रण (पैन इण्डिया फोकस) के साथ अतिरिक्त 37 वस्तुओं तक बढ़ा दिया गया है। इस प्रकार, इस योजना में वर्तमान में 87 वस्तुएं शामिल हैं। विवरण अनुलग्नक-12 में दिया गया है। यह योजना राज्य सरकार के परामर्श से ट्राइफेड द्वारा चयनित राज्य स्तरीय एजेंसी (एसएलए) के माध्यम से कार्यान्वित की

जाती है। जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार एसएलए को एक परिक्रामी निधि प्रदान करती है। हानि, यदि कोई हो, को केंद्र और राज्य द्वारा 75ः25 के अनुपात में साझा किया जाना है।

वन धन विकास कार्यक्रम

8.4. एमएफपी के लिए एमएसपी की योजना के तहत, "वन धन विकास कार्यक्रम (वीडीवीके)" विभिन्न कौशल उन्नयन प्रशिक्षण और एमएफपी के वैज्ञानिक संग्रहण, कटाई और प्राथमिक प्रसंस्करण को अपनाने के माध्यम से आजीविका सृजन को लक्षित करने वाली एक पहल की कल्पना की गई और इसे गति प्रदान की गई। 14.04.2018 को एक वन धन केंद्र (वीडीके) का उद्घाटन भारत के माननीय प्रधान मंत्री द्वारा बीजापुर, छत्तीसगढ़ में प्रारंभिक (पायलट) आधार पर किया गया था। वन धन कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए फरवरी, 2019 में एमएफपी के लिए एमएसपी की योजना के दिशानिर्देशों को संशोधित किया गया था। कार्यक्रम के तहत, वन धन स्व-सहायता समूह (वीडीएसएचजी) के रूप में जानी जाने ग्राम स्तर की प्राथमिक एसएचजी इकाई की स्थापना की जाती है, जिसमें 20 वनवासी होते हैं, जो लघु वन उत्पादों के संग्रहण, प्रसंस्करण और मूल्यवर्धन का कार्य करती है। 15 ऐसे वीडीएसएचजी को एक वन धन विकास केंद्र (वीडीवीके) में शामिल कर लिया गया है, जो प्रशिक्षण, कच्चे माल के एकत्रीकरण, ब्रांडिंग, पैकेजिंग और विपणन कार्यों में पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं के लाभों को प्राप्त करने के लिए 300 सदस्यों को जोड़ता है।

8.5. यह वन धन यानी वन धन का उपयोग करके जनजातियांे के लिए आजीविका सृजन को लक्षित करने वाली एक पहल है। कार्यक्रम का उद्देश्य जनजातीय समुदाय आधारित उद्यमों, वन धन विकास केंद्रों के निर्माण और संचालन के माध्यम से, जनजातियांे के पारंपरिक ज्ञान और कौशल का दोहन करना और आदिवासी के ज्ञान को एक अधिक व्यवहार्य आर्थिक गतिविधि में मजबूत करना है। वन धन विकास केन्द्रों, वीडीवीके को जनजातीय आवास में और उसके आसपास उपलब्ध विभिन्न वन उत्पादों के मूल्यवर्धन और बेहतर विपणन के लिए आवश्यक प्रशिक्षण इनपुट, उपकरण और अन्य सहायता दी जाएगी। वर्ष 2019 से वन धन योजना के शुभारंभ के बाद से, ट्राइफेड ने 52,976 वन धन स्वयं सहायता समूहों (वीडीएसएचजी) को 27 राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों में 3,110 वन धन विकास केंद्र समूहों (वीडीवीके) में शामिल करने की मंजूरी दी है, जिसमें 9.27 लाख लाभार्थी शामिल हैं। ये वीडीएसएचजी/वीडीवीके कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। जबकि केंद्र की स्थापना के लिए राज्य सरकार को भूमि/भवन निःशुल्क उपलब्ध कराना होता है, वहीं केंद्र सरकार प्रशिक्षण, पक्ष समर्थन (एडवोकेसी), कच्चा माल, उपकरण किट आदि के लिए व्यय प्रदान करेगा। क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण के माध्यम से स्थायी जनजातीय उद्यमिता स्थापित करने के लिए प्रशिक्षण, मूल्य संवर्धन,

पैकेजिंग, ब्रांडिंग और विपणन गतिविधियों को एकीकृत करने के लिए वन धन कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षण कार्यक्रमों को संशोधित किया गया है। यह जनजातीय परिवारों को नियमित आजीविका और आय सृजन के अवसर प्रदान करेगा।

8.6. योजना के तहत 2022-23 के लिए बजटीय अनुमानों के साथ पिछले तीन वर्षों के लिए बजटीय अनुमान, संशोधित अनुमान और वास्तविक व्यय इस प्रकार है:-

(करोड़ रुपए में)

2019-20			**2020-21**			**2021-22**			**2022-23**
बीई	**आरई**	**व्यय**	**बीई**	**आरई**	**व्यय**	**बीई**	**आरई**	**व्यय (31.01.2022 तक)**	**बीई**
130.00	190.00	164.65	152.51	85.74	82.86	155.00	115.00	57.50	एमएफपी और संस्थानों की सहायता के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की चल रही स्कीमों को मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन (पीएमजेवीएम) के अंतर्गत युक्तिसंगत बनाने और विलय किए जाने का प्रस्ताव किया गया है। अत: सीएसएस योजना यानी "संस्थागत सहायता" के तहत वर्ष 2022-23 के लिए 499.00 करोड़ रुपये के रुपये के बजट की मांग की गई है।

8.7. योजना के तहत निर्धारित लक्ष्य और प्राप्त उपलब्धियां इस प्रकार हैं:-

2019-20			2020-21			2021-22			2022-23
लक्ष्य	**उपलब्धि**	**कमी, यदि कोई हो, तथा उसका कारण (संक्षेप में)**	**लक्ष्य**	**उपलब्धि**	**कमी, यदि कोई हो, तथा उसका कारण (संक्षेप में)**	**कमी**	**यदि कोई हो**	**कमी, यदि कोई हो, तथा उसका कारण (संक्षेप में)**	**लक्ष्य**
योजना लक्ष्य निर्धारित नहीं करती है। राज्य सरकार से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर निधियॉ जारी की जाती है। इस योजना के तहत, निम्नलिखित गतिविधियों के लिए निधियॉ जारी की गई थी: (i) स्थानीय स्तर पर कोल्ड स्टोरेज, गोदामों, प्रसंस्करण इकाइयों आदि जैसे बुनियादी ढांचे का विकास; (ii) हाटों/खरीद केंद्रों का आधुनिकीकरण; (iii) लघु वनोपज की खरीद के लिए परिक्रामी निधि।			योजना लक्ष्य निर्धारित नहीं करती है। राज्य सरकार से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर निधियॉ जारी की जाती है। इस योजना के तहत, निम्नलिखित गतिविधियों के लिए निधियॉ जारी की गई थी: (i) स्थानीय स्तर पर कोल्ड स्टोरेज, गोदामों, प्रसंस्करण इकाइयों आदि जैसे बुनियादी ढांचे का विकास; (ii) हाटों/खरीद केंद्रों का आधुनिकीकरण; (iii) लघु वनोपज की खरीद के लिए परिक्रामी निधि।			योजना लक्ष्य निर्धारित नहीं करती है। राज्य सरकार से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर निधियॉ जारी की जाती है। इस योजना के तहत, निम्नलिखित गतिविधियों के लिए निधियॉ जारी की गई थी: (i) स्थानीय स्तर पर कोल्ड स्टोरेज, गोदामों, प्रसंस्करण इकाइयों आदि जैसे बुनियादी ढांचे का विकास; (ii) हाटों/खरीद केंद्रों का आधुनिकीकरण; (iii) लघु वनोपज की खरीद के लिए परिक्रामी निधि।			---

8.8. बजटीय आवंटन के विषय में तथा यह पूछे जाने पर कि ऐसे कौन से कारण हैं जिनके कारण हर साल आरई चरण में आवंटन कम हो जाता है और मंत्रालय यथार्थवादी अनुमान लगाने के लिए क्या कदम उठाने का प्रस्ताव करता है ताकि बीई/आरई में प्रक्षेपण स्तर पर अधिक भिन्नता न हो, जनजातीय कार्य मंत्रालय ने बताया कि:

"एमएफपी के लिए एमएसपी मांग आधारित योजना होने के कारण, व्यय राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों पर निर्भर था। 2018-19 में वीडीवीके की अवधारणा की शुरुआत से

पहले, योजना के तहत धन का उपयोग एमएफपी की खरीद के लिए, जब उनका बाजार मूल्य एमएसपी से कम हो जाता है, के लिए किया जाना था। राज्य से पर्याप्त मांग के अभाव में मंत्रालय को योजना के तहत बजटीय आवंटन को संशोधित अनुमान के स्तर पर कम करना पड़ा। लेकिन वीडीवीके अवधारणा की शुरुआत के साथ, व्यय की प्रवृत्ति ने गति पकड़ी। 2020-21 और 2021-22 के दौरान कोविड 19 महामारी के कारण, व्यय की प्रवृत्ति स्वाभाविक रूप से कम हो गई, जिसके कारण आरई स्तर पर बजटीय आवंटन में कमी आई।

योजना को परिभाषित लक्ष्यों के साथ नया रूप दिया गया है और 'प्रधानमंत्री जनता विकास मिशन' नामक बैकवार्ड और फोरवार्ड लिंकेज के प्रावधान के अलावा निरंतर निगरानी पर ध्यान केंद्रित किया गया है, 2022-23 के दौरान मंत्रालय ने ट्राइफेड को पीएमजेवीएम के लिए नोडल कार्यान्वयन एजेंसी बनाया है, जिसमें ट्राइफेड वार्षिक कार्य योजनाओं को सीधे मंजूरी देगा और राज्य कार्यान्वयन एजेंसी को धन जारी करेगा। ट्राइफेड हमेशा राज्य कार्यान्वयन एजेंसी के साथ सीधे संपर्क में रहता है। स्थापित किए जाने वाले वीडीवीके की संख्या के संदर्भ में परिभाषित लक्ष्यों और निरंतर निगरानी के अलावा लक्षित किए जाने वाले लाभार्थियों के साथ, यह उम्मीद की जाती है कि योजना के तहत प्रस्ताव आवृत्ति और व्यय को और अधिक अधिक प्रभावी की रूप से बनाया जाएगा।"

8.9. वनधन स्व-सहायता समूहों (वीडीएसएचजी) और वीडीवीके क्लस्टरों (वीडीवीकेसी) का राज्य-वार ब्यौरा निम्नवत है:-

क्रम सं.	राज्य/संघ-राज्य क्षेत्र	स्वीकृत/अनुमोदित वीडीएसएचजी की संख्या	स्वीकृत/अनुमोदित वीडीवीके क्लस्टरों की संख्या	वन संग्राहकों की संख्या	स्वीकृत राशि (लाख रु. में)
1	आंध्र प्रदेश	6225	415	123258	6162.9
2	अरुणाचल प्रदेश	1275	85	25500	1275
3	असम	7140	302	90316	4530
4	बिहार	120	8	1630	81.5
5	छत्तीसगढ़	4170	139	41700	2085
6	दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव	15	1	302	15
7	गोवा	150	10	3000	150
8	गुजरात	1740	116	34424	1721.2
9	हिमाचल प्रदेश	61	3	810	40.5
10	लद्दाख	150	10	3000	150
11	झारखंड	585	39	11601	569.7

12	कर्नाटक	1946	140	41748	2087.4
13	केरल	660	44	12038	597.25
14	मध्य प्रदेश	1605	107	32100	1605
15	महाराष्ट्र	3960	264	79350	3960
16	मणिपुर	3000	200	60390	2996.8
17	मेघालय	585	39	11835	584.1
18	मिजोरम	2385	159	46168	2306.55
19	नागालैंड	3090	206	61800	3089.9
20	ओडिशा	4110	170	51019	2479.25
21	राजस्थान	7322	479	144803	7135.6
22	सिक्किम	1200	80	23800	1169.05
23	तमिलनाडु	192	8	2400	120
24	तेलंगाना	255	17	5100	255
25	त्रिपुरा	480	32	9039	436.95
26	उत्तर प्रदेश	375	25	7191	359.55
27	उत्तराखंड	180	12	3605	179.95
कुल		**52976**	**3110**	**927927**	**46143.15**

8.10. यह पूछे जाने पर कि लघु वनोपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की योजना कब शुरू की गई थी और पिछले दस वर्षों में इसे कितनी बार संशोधित किया गया है और इससे जनजातियों को कितना लाभ हुआ है, जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा समिति को लिखित उत्तर के माध्यम से बताया गया कि:

> "न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के माध्यम से लघु वनोपज (एमएफपी) के विपणन के लिए तंत्र और एमएफपी के लिए मूल्य श्रृंखला का विकास" (संक्षेप में एमएफपी के लिए एमएसपी) जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा अनुसूचित जनजातियों और अन्य पारंपरिक वनवासियों से संबंधित लोगों, जिनकी आजीविका एमएफपी के संग्रह और बिक्री पर निर्भर करती है, को सुरक्षा जाल और सहायता की आवश्यकता के लिए वर्ष 2013-14 में शुरू की गई थी। यह योजना 2015 तक केवल 10 एमएफपी मदों को पूरा कर रही थी। जनजातीय संग्रहकर्ताओं के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने और योजना के आयाम को व्यापक बनाने के लिए, अक्टूबर 2016 से, योजना की पहुंच कई गुना बढ़ा दी गई और भारत के 27 राज्यों तक विस्तारित की गई और अब तक बीच में कुल 76 नए एमएफपी शामिल हैं व कुल 87 एमएफपी है। 37 नए एमएफपी को शामिल किया गया और 50 मौजूदा एमएफपी की कीमत को मौजूदा कोविड 19 महामारी के दौरान जनजातीय संग्रहकर्ताओं को अधिक आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए बढ़ाया गया।

2018-19 में, योजना को और अधिक प्रभावी बनाने और धन के इष्टतम उपयोग के लिए, वन धन विकास केंद्रों की अवधारणा शुरू की गई थी, और योजना का ध्यान (फोकस) एमएफपी के मूल्यवर्धन और खरीद पर केंद्रित किया गया था। ट्राइफेड वीडीवीके कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य वन धन अर्थात वन धन का उपयोग करके जनजातियों के लिए आजीविका सृजन करना है और प्रौद्योगिकी और आईटी को जोड़कर जनजातियों के पारंपरिक ज्ञान और कौशल सेट का उपयोग करना है ताकि जनजातीय ज्ञान को एक व्यवहार्य आर्थिक गतिविधि में परिवर्तित किया जा सके। इस कार्यक्रम के तहत महत्वपूर्ण जनजातीय आबादी वाले क्षेत्रों में सामुदायिक स्वामित्व वाले लघु वनोपज केंद्रित बहुउद्देश्यीय केंद्र स्थापित किए गए हैं। केंद्र स्थानीय रूप से उपलब्ध लघु वनोपज की खरीद सह मूल्यवर्धन के लिए सामान्य सुविधा केंद्रों के रूप में कार्य करते हैं। कच्चे उत्पाद के मूल्यवर्धन से एमएफपी के मूल्य में वृद्धि होने की उम्मीद है और फलस्वरूप संग्रहकर्ताओं की आय में वृद्धि होगी।"

8.11. जहां तक जनजातीय लोगों के पारंपरिक कौशल और ज्ञान को बढ़ावा देने के लिए किए गए वित्तीय आवंटन और पिछले पांच वर्षों के लिए किए गए आबंटन के ब्यौरे का संबंध है, जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा समिति को लिखित उत्तर के माध्यम से बताया गया कि:

"एमएफपी के लिए एमएसपी की योजना के तहत, वन धन विकास केंद्र के घटक का उद्देश्य प्रत्येक चरण में इसे उन्नत करने के लिए प्रौद्योगिकी और आईटी को जोड़कर जनजातियों के पारंपरिक ज्ञान और कौशल सेट का उपयोग करना है और जनजातीय ज्ञान को एक व्यवहार्य आर्थिक गतिविधि में परिवर्तित करना है। मंत्रालय ने वीडीवीके की स्थापना के लिए ट्राइफेड को 2018-19 से 312.14 करोड़ रुपये की राशि जारी की है। इसके लिए ट्राइफेड ने 25 राज्यों और 02 केंद्र शासित प्रदेशों में 9.27 लाख लाभार्थियों से जुड़े 3,110 वन धन विकास केंद्र (52,976 वन धन स्वयं सहायता समूह) को मंजूरी दी है।"

8.12. जनजातीय और एमएफपी संग्राहकों के संदर्भ में इस योजना को सुदृढ़ करने के लिए प्रस्तावित उपायों सहित योजना के परिणामों के बारे में पूछे जाने पर, जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा समिति को लिखित उत्तर के माध्यम से बताया गया कि:

"कई योजना घटकों और विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों के साथ योजना के संचालन के साथ प्रशासनिक और निगरानी के मुद्दे रहे हैं। बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज आदि के मुद्दे भी थे। नीति आयोग द्वारा तैयार की गई मूल्यांकन रिपोर्ट में, इस बात पर प्रकाश डाला गया था कि एमएफपी योजना के लिए एमएसपी हेतु एमएफपी के उपयोग में विविधता

लाने के लिए सभी हितधारकों के बीच सावधानीपूर्वक संवेदीकरण और जागरूकता, दक्ष योजना, अनुसंधान और विकास उनका मूल्यवर्धन और योजना को पूरी तरह से लागू करने के लिए राज्यों का दृढ़ संकल्प की आवश्यकता है।

मंत्रालय ने अब इस योजना के दायरे को युक्तिसंगत बनाया है और इसे 'प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन (पीएमजेवीएम)' नाम से लागू करने का प्रयास किया है। योजना का उद्देश्य अगले पांच वर्षों में गुणवत्ता इनपुट, प्रौद्योगिकी, ऋण और बेहतर विपणन पहुंच आदि के माध्यम से आजीविका संचालित जनजातीय विकास हासिल करना है। इसका उद्देश्य जनजातीय उद्यमिता पहल को मजबूत करना और अधिक कुशल, न्यायसंगत, स्व-प्रबंधित, प्राकृतिक संसाधनों के इष्टतम उपयोग, कृषि/एनटीएफपी/गैर-कृषि उद्यमों को बढ़ावा देकर एसटी आजीविका के आधार का विस्तार करना है। इस योजना में आगे यह परिकल्पना की गई है कि जनजातियों को उत्पादन संसाधनों पर अधिक नियंत्रण प्राप्त करना चाहिए और समर्थन प्रणालियों का प्रबंधन करना चाहिए। इससे अधिक प्रभावी अभिसरण के माध्यम से और अर्थशास्त्र के मानदण्डों को प्राप्त करके लाभों को समेकित करने की उम्मीद है। राज्य और क्षेत्र की विशिष्ट आवश्यकता के अनुसार स्वीकृत वन धन केंद्रों के संचालन और वीडीवीके की स्थापना के अलावा, वीडीवीके को उनके उत्पादों/उपज के बेहतर विपणन के लिए 200 उत्पादक संगठन बनाकर वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इसके अलावा, नए हाट और गोदाम (वेयर हाउस) बनाए जाएंगे और उत्पादकों को ई-मार्केटप्लेस प्लेटफॉर्म प्रदान किया जाएगा। उत्पादों की ब्रांडिंग और प्रचार पर ध्यान दिया जाएगा।"

8.13. इस योजना के माध्यम से आदिवासियों की आजीविका बढ़ाने के संबंध में विचार-विमर्श के दौरान जनजातीय कार्य मंत्रालय के प्रतिनिधि ने समिति को बताया कि:

"200 बंधन प्रोड्यूसर आर्गनाइजेशंस का एक स्कोप रखा गया है। उसका जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, उसको कैसे स्टोर किया जाए, उसके लिए 600 वेयर हाउसेज, तीन हजार हॉट बाजार और ट्राइफेड के माध्यम से ट्राइफेड फूड पॉर्क्स भी बनाए जाएंगे। दो फूड पॉर्क्स, जैसा आप जानते हैं, एक रायगढ़ में और एक जगदलपुर में ऑलरेडी चल रहा है। इसी तरह से इस स्कीम के अंडर 275 में अगर कोई स्टेट कहता है कि मुझे फूड पार्क बनाना है या ट्राइफेड बनाना है, तो जो जगदलपुर में या यहाँ पर चल रहा है, वहाँ जामुन कस्टर्ड, महुआ ड्रिंक, ऑवला जूस ये सब प्रोसेस शुरू हो गया है। जो कंस्ट्रक्शन का प्रोसेस है, वह शुरू हो गया है। अगले 5-6 महीने के अंदर ये जो ट्राइफेड फूड पॉर्क्स हैं, ये बनकर रेडी हो जाएंगे। जो ट्राइबल प्रोडक्ट्स हैं, उनकी मार्केटिंग करना, तो 119 जो ट्राइब्स इंडिया की शॉप्स हैं, आपने देखा होगा कि कॉफी कॉरपोरेट्स दीपावली पर गिफ्ट्स दे रहे हैं, ट्राइब्स इंडिया की और इसके साथ-साथ जो ट्राइब्स इंडिया का प्लेटफॉर्म है, उसमें अमेजॉन के थ्रू, फ्लिपकार्ट के थ्रू भी ट्राइब्स इंडिया सेल कर रहा है। इसमें आदि महोत्सव भी, जो सेन्ट्रल लेवल पर दिल्ली हॉट

में होता है और स्टेट लेवल पर उसके माध्यम से भी हम लोग ट्राइबल के प्रोडक्ट्स की मॉर्केटिंग कर रहे हैं।"

8.14. योजना के कार्यान्वयन और वित्तपोषण के लिए तंत्र के बारे में पूछे जाने पर, जनजातीय कार्य मंत्रालय के प्रतिनिधि ने समिति के समक्ष बताया कि:

"इसी तरह से विलेज की डेवलपमेंट के साथ-साथ उनकी लाइवलीहुड भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। पहले इसमें ऐसी व्यवस्था थी कि एक पैसा स्टेट को जाता है, एक पैसा ट्राइफेड को जाता था, एक पैसा लागू करने वाली एजेंसीज़ को जाता था। एक पैसे के मल्टीप्ल कंपोनेन्ट्स होते थे। वह इतने छोटे-छोटे टुकड़ों में बँट जाता था कि स्टेट तक पहुँचते-पहुँचते कुछ कमी आ जाती थी। इसमें अंतिम जिम्मेदारी किसकी है। ट्राइफेड जिम्मेदार है, स्टेट जिम्मेदार है, वहाँ की जो लागू करने वाली एजेंसी है, वह जिम्मेदार है। इसमें एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर की मीटिंग के बाद यह फैसला किया गया कि ओवलऑल जो जिम्मेदारी है, वह इस स्कीम के अंतर्गत ट्राइफेड की होगी और हंड्रेड परसेंट ग्रांट स्टेट को ट्राइफेड के माध्यम से जाएगा। इसके लिए स्टेट ही मॉनिटरिंग करेगा।"

8.15. इस संबंध में जनजातीय कार्य मंत्रालय के सचिव ने समिति के समक्ष बताया कि:

"मैडम, इसमें मुख्य परिवर्तन यह किया गया है कि पहले हम लोग इसको सेन्ट्रली स्पॉन्सर्ड, मतलब यहाँ से 75 परसेंट भेजते थे और उम्मीद करते थे कि स्टेट वाले भी 25 परसेंट उसमें लगाएंगे। उसी तरह से जब हमने समस्याओं को देखा कि उसमें बहुत समस्या है। अब शत-प्रतिशत ट्राइफेड के माध्यम से ही जाएगा। इससे हमारी एकाउण्टबिलिटी एक जगह पर ही रहेगी। यह इस बार चेंज किया गया है।"

8.16. समिति नोट करती है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के माध्यम से लघु वन उपज (एमएफपी) के विपणन तथा वर्ष 2013-14 में शुरू किए गये एमएफपी के लिए मूल्य श्रृंखला को विकास का प्रसार 27 राज्यों तक किया गया है तथा अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों और अन्य परंपरागत वन निवासियों को सुरक्षा और सहयोग प्रदान करने के लिए 87 एमएफपी राज्यों को इसमें शामिल किया गया है। योजना को अधिक प्रभावी बनाने तथा निधियों के इष्टतम उपयोग के लिए वन धन विकास केंद्र कार्यक्रम की अवधारणा 2018-19 में लाई गई थी तथा इसमें ध्यान एमएफपी के खरीद और मूल्य संवर्धन प्रदान करने पर दिया गया था तथा कार्यान्वयन के लिए टाइफेड को नोडल एजेंसी बनाया गया था। 2022-23 से अगले पांच वर्षों में आजीविका-प्रेरित जनजातीय विकास के लिए ट्राइफेड द्वारा 'प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन' के रुप में इस योजना को कार्यान्वित करने का प्रस्ताव करेंगे। समिति पाती है कि जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा 2013-14 से जनजातियों विशेषकर वन निवासियों जिनकी आजीविका लघु वन उपज के एकत्रीकरण और बिक्री पर निर्भर करती है, के विकास के लिए अनेक उपाय किए गए हैं। इसके लिए उपाय में 52976 वन धन स्व-सहायता समूह तथा 3110 वन धन

विकास केंद्रों को पूरे देश में मंजूरी दी गई है जो 927927 वन संग्रहकर्ताओं को सेवा प्रदान कर रहे हैं। तथापि, समिति पाती है कि क्रियाकलापों जैसे अवसंरचना विकास जैसे कोल्ड स्टोरेज, वेयरहाउस, हॉट के आधुनिकीकरण, लघु वन उपजों की खरीद आदि के लिए गत वर्ष के दौरान किया गया व्यय अत्यंत कम था। अब समिति आशा करती है कि सरकार के जनजातीय आबादी के कल्याण और विकास से संबंधित लक्ष्य प्राप्त हो जाएंगे तथा 2022-23 में और 499 करोड़ रुपए के बढ़े हुए बजटीय आवंटन के साथ वेयरहाउस, कोल्ड स्टोरेज और मार्केट स्थान की स्थापना की जाएगी। समिति चाहती है कि की-गई-कार्रवाई स्तर पर प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन के अंतर्गत वन धन स्व-सहायता समूहों और वन धन विकास केंद्रों की स्थापना के लिए लक्ष्य तथा प्राप्त उपलब्धियों से अवगत कराया जाए।

अध्याय – नौ

जनजातीय उप-योजना को विशेष केंद्रीय सहायता (टीएसएस को एससीए):

(प्रधानमंत्री एएडीआई आदर्श ग्राम योजना)

9.1. जनजातीय उप-योजना को विशेष केन्द्रीय सहायता (टीएसएस को एससीए) के विशेष क्षेत्र कार्यक्रम के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या वाले राज्यों को जनजातीय लोगों के विकास और कल्याण के लिए अनुदान जारी किए जाते हैं। राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों और कार्यकारी समिति द्वारा विधिवत अनुमोदित प्रस्तावों के आधार पर और इस प्रयोजनार्थ इस मंत्रालय में गठित परियोजना मूल्यांकन समिति (पीएसी) द्वारा मूल्यांकन और अनुमोदन के बाद शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, कौशल विकास, रोजगार-सह-आय सृजन आदि जैसे क्षेत्रों में कार्यकलापों में सहायता प्रदान करने के लिए जारी की जाती हैं, जिनमें राज्यों को 100% अनुदान प्रदान किए जाते हैं। जनजातीय उप-योजना को विशेष केन्द्रीय सहायता के अंतर्गत, मौजूदा दिशा-निर्देशों के अनुसार, प्रदान किए गए अनुदान अंतर भरने की प्रकृति के हैं। उठाए जाने वाले कार्यकलापों की प्राथमिकता संबंधित राज्य सरकारों द्वारा समय-समय पर उत्पन्न होने वाली आवश्यकता के अनुसार निर्धारित की जाती है। किसी राज्य को आवंटित बजट निर्धारित होता है और राज्य को उसी बजट के भीतर अपने प्रस्तावों को प्राथमिकता देना अपेक्षित होता है। मंत्रालय ने पीएसी द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं के सफलतापूर्वक पूरा होने की निगरानी के लिए एडीआईजीआरएएमएस (आदिवासी अनुदान प्रबंधन प्रणाली) विकसित की है।

9.2. अगले वित्त चक्र (2021-26) में, मंत्रालय ने इस योजना को नया रूप देने का प्रस्ताव किया है, जिसका उद्देश्य 500 और 50% से अधिक अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या वाले जनजातीय गांवों के विकास को एकीकृत करना होगा। 36,000 से अधिक गांवों की पहचान की गई है, जिन्हें अगले 5 वर्षों में केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों, राज्य सरकारों के तहत एसटीसी घटक के अंतर्गत उपलब्ध निधियों और मंत्रालय के पास उपलब्ध निधियों के अभिसरण के माध्यम से विकसित किया जाएगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, कृषि और किसान कल्याण, ग्रामीण विकास, स्कूली शिक्षा और साक्षरता, पेयजल और स्वच्छता, खाद्य और सार्वजनिक वितरण, दूरसंचार, महिला और बाल विकास, उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय जैसे प्रमुख केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के पास उपलब्ध निधियों को पहचान किए गए गांवों को अवसंरचनात्मक सुविधाएं जैसे सड़क और मोबाइल कनेक्टिविटी, स्कूल और प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं और

व्यक्तियों को छात्रवृत्ति, पेंशन, आयुष्मान कार्ड और कौशल विकास जैसे योजनाओं का लाभ देने के लिए समर्पित की जाएगी।

9.3. प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना जिसे पहले 'जनजातीय उप-योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता' के रूप में जाना जाता था, का उद्देश्य जनजातीय लोगों के विकास और कल्याण हेतु शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, कौशल विकास, रोजगार सह आय सृजन आदि जैसे क्षेत्रों में अंतर को पाटने का है। यह बताया गया है कि इस योजना की मूल विशेषता बुनियादी सेवाओं और बड़ी जनजातीय आबादी वाले गांवों में अंतराल को कम करना है।

9.4. 2022-23 के लिए बजटीय अनुमानों के साथ-साथ विगत तीन वर्षों का बजट अनुमान, संशोधित अनुमान और वास्तविक व्यय इस प्रकार है:-

रुपये करोड़ में

2019-20			2020-21			2021-22			2022-23
बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	व्यय	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	व्यय	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	व्यय (31 जनवरी 2022 तक)	बजट अनुमान
1350.00	1350.00	1350.00	1350.00	800.00	799.49	1350.00	785.00	0.00	1354.37

9.5. मंत्रालय ने विगत पांच वर्षों के दौरान टीएसएस को एससीए की योजना के अंतर्गत जारी की गई निधियों का राज्य-वार ब्यौरा इस प्रकार प्रस्तुत किया है:-

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	**राज्य**	**2016-17**	**2017-18**	**2018-19**	**2019-20**	**2020-21**
		कुल निर्मुक्ति	**कुल निर्मुक्ति**	**कुल निर्मुक्ति**	**कुल निर्मुक्ति**	**कुल निर्मुक्ति**
1	आंध्र प्रदेश	5000.42	3624.77	5617.39	12470.50	4954.96
2	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	2211.83	9224.29	7015.50
3	असम	3407.80	0.00	0.00	2710.08	4578.76
4	बिहार	743.74	0.00	0.00	0.00	994.00
5	छत्तीसगढ़	11717.82	14327.57	10342.65	9415.53	8769.06
6	गोवा	455.68	559.09	352.31	0.00	724.26
7	गुजरात	9488.00	10270.41	11765.38	8975.55	10786.40
8	हिमाचल प्रदेश	1959.39	2291.20	3628.00	2394.18	1367.00
9	जम्मू और कश्मीर	3671.61	3626.50	3749.80	4509.00	0.00
10	झारखंड	9820.75	11372.49	8564.52	6201.49	7049.64
11	कर्नाटक	5100.00	5955.37	5347.76	7434.00	0.00
12	केरल	808.09	808.43	335.00	0.00	459.15

13	मध्य प्रदेश	19236.61	22828.70	16968.97	13415.25	0.00
14	महाराष्ट्र	9547.00	13760.38	13802.57	11929.09	0.00
15	मणिपुर	2260.00	3790.38	5442.48	1434.02	0.00
16	मेघालय	0.00	0.00	2739.20	3788.00	328.25
17	मिजोरम	0.00	0.00	1220.00	3140.00	1236.22
18	नागालैंड	0.00	0.00	3225.00	2951.12	2846.14
19	ओडिशा	11806.27	11975.00	17553.22	8691.18	9010.42
20	राजस्थान	11072.90	10051.83	10327.93	11461.41	8662.66
21	सिक्किम	1497.62	5986.00	0.00	0.00	0.00
22	तमिलनाडु	600.00	894.10	315.00	450.56	377.47
23	तेलंगाना	3845.35	4493.55	2850.32	5361.29	4191.00
24	त्रिपुरा	1345.76	1649.77	1294.38	1362.97	1173.30
25	उत्तराखंड	0.00	679.00	1012.88	600.00	757.80
26	उत्तर प्रदेश	121.92	458.35	0.00	779.91	508.83
27	पश्चिम बंगाल	5995.50	5397.11	5833.41	5862.58	3746.00
	कुल	**119502.230**	**134800.00**	**134500.00**	**134562.00**	**79536.82**

9.6. टीएसएस को एससीए की योजना के तहत 2016-17 से 2020-21 के दौरान राज्य सरकारों को प्रदान की गई निधियों का क्षेत्रीय ब्यौरा इस प्रकार है:-

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	**क्षेत्र**	**2016-17**	**2017-18**	**2018-19**	**2019-20**	**2020-21**
1	पशुपालन	4436.59	5732.72	6540.67	6424.19	3308.25
2	कला और संस्कृति	0	0	2234	1240	200
3	पेयजल और पीडब्लूएस	0	2631.75	4639.67	285.77	1721.04
4	पारिस्थितिकी पर्यटन	1650	207	900	1195.66	3463.37
5	शिक्षा	40627.16	41487.09	46636.35	49876.57	15963.91
6	स्वास्थ्य	5015	6619.79	7758.85	12282.06	8431.95
7	आवास	0	0	308	150	0
8	अवसंरचना विकास	1082.59	5075.13	8074.46	2076.1	3560.03
9	सिंचाई और वाटरशेड प्रबंधन	7933.02	8667.33	8873.2	5869.66	8586.88
10	आजीविका (कृषि सहित)	32928.34	21063.7	26773.14	40908.95	32812.88
11	बाजार हस्तक्षेप/उपाय और मूल्य श्रृंखला का विकास	4194.8	1180.45	5965.1	4473	874.11
12	पोषण	0	1132	301.5	200	0
13	सामूहिक और संस्थान भवन का प्रचार	0	0	0	3405	0

14	अनुसंधान, प्रलेखन और एम एंड ई	133.25	4200.644	2926.08	2590.23	1489.13
15	सड़क संपर्क	973.01	2400	7281.5	4735	1894.48
16	कौशल विकास	15742.96	13921.13	12265.45	8594.218	7187.81
17	खेल - कूद वाले खेल	1126.75	2688.35	1862	336	158.5

9.7. जनजातीय उप-योजना के लिए विशेष केंद्रीय सहायता की योजना को प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना के रूप में किस कारण से संशोधित किया गया है और यह योजना टीएसएस को एससीए से कैसे अलग है, के बारे में पूछे जाने पर जनजातीय कार्य मंत्रालय ने समिति को लिखित उत्तर के माध्यम से बताया गया कि:

"यह योजना 1977-78 से 'जनजातीय उप-योजना को विशेष केंद्रीय सहायता (टीएसपी को एससीए)' नाम से शुरू की गई थी। योजना और गैर-योजना के समामेलन पर, इस योजना को 2017 से 'जनजातीय उप-योजना (टीएसएस को एससीए) के लिए विशेष केंद्रीय सहायता' के रूप में नामोद्दिष्ट किया गया। अधिसूचित एसटी के साथ राज्य सरकार को धन उपलब्ध कराया गया है ताकि जनजातीय लोगों के विकास और कल्याण के लिए धन उपलब्ध कराया जा सके व जनजातीय कार्य मंत्रालय शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, कौशल विकास, रोजगार-सह-आय सृजन आदि जैसे क्षेत्रों में अंतराल को पाटा जा सकें।

जनजातीय कार्य मंत्रालय ने 2011 की जनगणना के आंकड़ों और ग्रामीण विकास मंत्रालय (एमओआरडी) द्वारा बनाए गए मिशन अंत्योदय डेटा के आधार पर एक अंतराल विश्लेषण किया। विश्लेषण के माध्यम से यह पता चला है कि एसटी आबादी वाले लगभग 1,17,000 जनजातीय गांव हैं ≥ 25% जहां स्वास्थ्य, शिक्षा, आजीविका, आवास, सड़क संपर्क, मोबाइल इंटरनेट कनेक्टिविटी, व्यावसायिक प्रशिक्षण पीने का पानी, बिजली की आपूर्ति आदि सहित विकास के विभिन्न क्षेत्रों में अंतराल मौजूद हैं।

सचिवों के क्षेत्रीय समूह- 5 (कल्याण) ने 9 अक्टूबर, 2020 को कैबिनेट सचिव के तहत अपनी बैठक में, ग्राम स्वराज अभियान की तर्ज पर अच्छी खासी जनजातीय आबादी वाले गांवों में बुनियादी सेवाओं और सुविधाओं में अंतराल को भरने के लिए एक अभियान के लिए एक कार्य योजना तैयार करने के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय को निर्देश दिया। यह महसूस किया गया कि यह एक सतत योजना है जहाँ एकीकृत ग्राम विकास को परिणामोन्मुखी और समयबद्ध तरीके से लागू किया जा सकता है। तदनुसार, मौजूदा टीएसएस को एससीए योजना को 'प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना' के रूप में जाना जाने के लिए नया रूप दिया गया है।

पीएमएएजीवाई चरणबद्ध तरीके से "महत्वपूर्ण जनजातीय आबादी वाले गांवों" को आदर्श गांव (आदर्श ग्राम) में बदलने का प्रयास करती है, जिसमें एसटी सहित ग्रामीणों को बुनियादी सेवाओं और बुनियादी सुविधाओं तक पहुंच प्राप्त होगी ताकि वे एक

सम्मानजनक जीवन जी सकें और अपनी अंतर्निहित क्षमता का पूरी तरह से उपयोग कर सकें। इस योजना के माध्यम से, मंत्रालय का यह प्रयास होगा कि स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, बिजली आपूर्ति, सड़क संपर्क, मोबाइल और इंटरनेट कनेक्टिविटी सहित विकास के विभिन्न क्षेत्रों में मौजूदा अंतराल को कम किया जाए और संसाधनों के उपयुक्त अभिसरण के माध्यम से भारत सरकार और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत व्यक्तिगत अधिकार भी प्रदान किए जाएं।"

9.8. मौखिक साक्ष्य में, योजना के पुनरुद्धार के मुद्दे को विस्तार से बताते हुए, सचिव ने निम्नवत बताया:

"जो शिड्यूल्ड ट्राइब्स कॉम्पोनेंट है, इसमें वर्ष 1975 से राज्यों को और विभिन्न मंत्रालयों को पैसे जा रहे हैं, उसमें यह होता था कि हर मंत्रालय जनजातीय कल्याण के लिए जिम्मेदार थीं। पर, दुर्भाग्यवश जनजातीय कार्य मंत्रालय का उन पर कोई कंट्रोल नहीं था। वर्ष 2018 में जब एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल्स चेंज हुआ तो उसमें मंत्रालय को कहा गया कि आप देखें कि यह बाकी मंत्रालयों का खर्च कैसे हो सकता है। आप देखेंगी कि 42 मंत्रालयों का जो यह बजट है, वह 87,000 करोड़ है। यह अब एक ऐसा चन्क है, जो कि हमारे पास है। इसी तरह से, हर स्टेट को उनकी ट्राइबल पॉपुलेशन के मुताबिक एक राशि खर्च करनी पड़ती है। कुल मिलाकर, हमारे बजट के अलावा ढाई लाख करोड़ रुपये हर साल है। उस पूरे पैसे को एक बकेट बनाकर हम लोग कैसे उपयोग करें, उसी के कारण यह योजना बनाई गई।"

9.9. पीएमएएजीवाई योजना की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं-

(i) पांच वर्षों के पहले चरण में कम से कम 50% जनजातीय आबादी वाले 36,428 गांवों और 500 अनुसूचित जनजातियों को उपयुक्त अभिसरण के माध्यम से आदर्श गांवों में परिवर्तित किया जाएगा।

(ii) इस योजना के अंतर्गत कवर की जाने वाली कुल जनसंख्या लगभग 422 करोड़ (कुल जनजातीय आबादी का लगभग 40%) होगी।

(iii) अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या को अधिसूचित करने वाले सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का कवरेज।

(iv) ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंत्योदय मिशन के आंकड़ों के आधार पर चिन्हित अंतरालों के आधार पर वार्षिक योजना और परिप्रेक्ष्य योजना विकसित की जाएगी।

(v) जागरूकता पैदा करने, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण, सामाजिक लेखा-परीक्षा आदि का प्रावधान होगा।

(vi) प्रशासनिक व्यय सहित अनुमोदित कार्यकलापों के लिए गैप-फिलिंग राशि 20.38 लाख रुपये प्रति गांव हैं।

(vii) राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर तकनीकी संसाधन सहायता उपलब्ध कराने के लिए परियोजना निगरानी इकाई (पीएमयू)।

9.10. पीएमएएजीवाई के अंतर्गत कम से कम 50 प्रतिशत जनजातीय आबादी और 500 अनुसूचित जनजातियों वाले कुल गांवों का राज्य-वार ब्यौरा निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	**राज्य का नाम**	**गांवों की संख्या**
1	आंध्र प्रदेश	517
2	अरुणाचल प्रदेश	141
3	असम	1700
4	बिहार	184
5	छत्तीसगढ़	4029
6	दादरा और नगर हवेली	53
7	दमन और दीव	2
8	गोवा	21
9	गुजरात	3764
10	हिमाचल प्रदेश	90
11	जम्मू और कश्मीर	434
12	झारखंड	3891
13	कर्नाटक	507
14	केरल	6
15	मध्य प्रदेश	7307
16	महाराष्ट्र	3605
17	मणिपुर	254
18	मेघालय	836
19	मिजोरम	344
20	नागालैंड	530
21	ओडिशा	1653
22	राजस्थान	4302
23	सिक्किम	62
24	तमिलनाडु	167
25	तेलंगाना	533
26	त्रिपुरा	375
27	उत्तर प्रदेश	183
28	उत्तराखंड	64
29	पश्चिम बंगाल	874

	कुल गांव	**36428**

9.11. पूर्व की योजना की तुलना में नई योजना के तहत परिकल्पित परिवर्तन के संबंध में मंत्रालय ने लिखित उत्तर में निम्नवत बताया है:

मद	**मौजूदा योजना**	**प्रस्तावित योजना**
मुख्य फोकस	जनजातीय समुदायों के त्वरित सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए गैप फिलिंग।	आदर्श ग्राम के रूप में जनजातीय बहुल गांवों का एकीकृत विकास (आदर्श ग्राम)
अनुदान	शत-प्रतिशत सहायता अनुदान	शत-प्रतिशत सहायता अनुदान
कवरेज	अधिसूचित एसटी वाले 27 राज्य	अधिसूचित एसटी के साथ 26 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश
लक्षित लाभार्थी	परिभाषित नहीं	परिभाषित (36,428 गांव)/1 करोड़ परिवार
समर्पित एमआईएस	उपलब्ध नहीं है	अंत: निर्मित (इन-बिल्ट)
गैप आधारित योजना	पता लगाने योग्य नहीं	पता लगाने योग्य
संसाधनों का अभिसरण	कड़ाई से पालन नहीं	पालन किया जाएगा
राज्य द्वारा योजना तैयार करना	सख्ती से अंतराल पर आधारित नहीं	अंतराल के आधार पर
जीपीडीपी	शून्य	कवर किया
जीपी . की भूमिका	पता लगाने योग्य नहीं	जीपी को शामिल किया जाएगा
मापने योग्य संकेतक	परिभाषित नहीं	परिभाषित निगरानी योग्य संकेतकों के आधार पर मूंल्याकन किया जाएगा।
फंड आवंटन	आबादी और क्षेत्रफल के आधार पर	गैप फिलिंग के रूप में रु. 20.38 लाख प्रति गांव
फंडिंग पैटर्न	राज्य सरकार को 100% अनुदान सहायता: (क) एसटी जनसंख्या के अनुपात में 2/3 वेटेज। (ख) जनजातीय बहुल क्षेत्रों के अनुपात में 1/3 वेटेज।	चयनित गांवों की संख्या के आधार पर राज्य सरकार को शत-प्रतिशत सहायता अनुदान।

9.12. 2021-22 में योजना के तहत धनराशि का शून्य उपयोग के कारणों के बारे में पूछे जाने पर मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में निम्नवत बताया है:

''चूंकि योजना का संशोधन किया जा रहा है, इसलिए 2021-22 के लिए बजट अनुमान या संशोधित अनुमान खर्च नहीं किया जा सका। सीसीईए के अनुमोदन के उपरांत धनराशि जारी की जाएगी।''

9.13. सचिव, जनजातीय कार्य मंत्रालय ने चर्चा के दौरान समिति को इस संबंध में बताया कि :

"स्पेशल सेंट्रल अस्सिटेंस के अंतर्गत ट्राइबल सब स्कीम के लिए करते थे, उसमें जैसा कि आपने जिक्र किया कि 1350 करोड़ रुपये के आस-पास बजट अनुदान था, उसमें कुछ भी व्यय नहीं हुआ है। उसकी पृष्ठभूमि यह है कि उस पर एक बहुत ही विस्तार से चर्चा की गई कि करीब 25-30 सालों से यह कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें केन्द्र सरकार से राज्य सरकारों को हजार करोड़, बारह सौ करोड़ या तेरह सौ करोड़ रुपये की एक अनुदान की राशि जाती है, यह पैसा ऐसे ही हर साल जाता था। यह पैसा यहां से जाता था और एक्सपेंडिचर में ही उसकी गिनती हो जाती थी। उसके बाद वह राज्य के अधिकार क्षेत्र में था और उस हिसाब से राज्य जहां भी चाहे, उस पैसे को खर्च करते थे। उसमें यह पाया गया कि जो जनजातीय जनसंख्या है, जहां पर हमें अधिक मूलभूत सुविधाओं की आवश्यकता है, वैसी जगहों का जब हम लोगों ने विश्लेषण किया, तो देखा कि जैसे गरीबी का ही लें तो हमारी जनजातीय जनसंख्या देश की जनसंख्या से केवल 8.6 प्रतिशत है। लेकिन जब हम देखते हैं कि गरीबी रेखा से नीचे कितने लोग हैं, तो वह हम करीब 20 प्रतिशत से ज्यादा पाते हैं। उसी तरह से जब हम देखते हैं कि जो साक्षरता का स्तर है या शिशु मृत्यु दर का स्तर है या हेल्थ या लिटरेसी का इंडिकेटर है, वह जनजातीय क्षेत्रों में और जनजातीय समाज में कम रहा है। इस पर एक विश्लेषण किया गया और कैबिनेट सेक्रेटरी की अध्यक्षता में, सचिवों की समिति ने इस पर निर्णय लिया कि हम स्पेशल कम्पोनेंट जो राज्यों को भेजते हैं, उसको एक फोकस्ड-वे में, आप कुछ ही जगहों पर खर्च करें, ऐसा करके अगर एक कार्यक्रम बनाए तो ऐसे स्थानों को जहां पर जनजातीय आबादी ज्यादा है, वहां पर उसका प्रभाव देखने को मिलेगा। उसी हिसाब से हम लोगों ने इस बार उस कार्यक्रम की रूप-रेखा को बदल दिया है। उसके लिए वित्त मंत्रालय से हमें मंजूरी मिल गई है और हमने कैबिनेट को भी भेजा था, वहां से भी मंजूरी मिल गई है।"

9.14. पूर्व योजना के तहत पिछले पांच वर्षों के दौरान नियत लक्ष्य सहित की गई उपलब्धि के संबंध में और संशोधित योजना के तहत अगले वर्ष के लिए नियत किए गए

लक्ष्यों के बारे में पूछे जाने पर जनजातीय कार्य मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में समिति को अन्य बातों के साथ निम्नवत सूचित किया :

(क) पहले इस योजना का कवरेज 23 राज्यों (जम्मू और कश्मीर सहित) तक सीमित था और अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड राज्य इस योजना के तहत शामिल नहीं थे। वर्ष 2017-18 के दौरान, मंत्रालय द्वारा नीति के एक भाग के रूप में इन राज्यों के साथ-साथ अनुसूचित जनजातियों के व्यापक हित में योजना का लाभ इन राज्यों को देने का निर्णय लिया गया था।

(ख) टीएसएस को एससीए की योजना के तहत मंत्रालय ने अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए विभिन्न क्षेत्रीय गतिविधियों के लिए निधियों को मंजूरी दी है।

9.15. प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना (पीएमएएजीवाई) के तहत अगले पांच वर्षों के लिए परिकल्पित लक्ष्य के बारे में पूछे जाने पर पर जनजातीय कार्य मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में समिति को अन्य बातों के साथ निम्नवत सूचित किया :

''अगले पांच वर्षों के दौरान, कम से कम 50% जनजातीय आबादी वाले 36428 जनजातीय बहुल गांवों और 500 अनुसूचित जनजातियों को इस योजना के तहत लिया जाएगा।''

9.16. यह पूछे जाने पर की योजना को कब अनुमोदित किया जाएगा ताकि योजना के लाभों से लाभार्थी वंचित न हो जनजातीय कार्य मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में समिति को अन्य बातों के साथ निम्नवत सूचित किया :

"वित्त मंत्रालय के का.ज्ञा. सं. 01(01)/पीएफसी-I/2022 दिनांक 01.02.2022 ने सूचित किया है कि मंत्रिमंडल ने अपने निर्णय दिनांक 19.01.2022 के माध्यम से जनजातीय कार्य मंत्रालय (एमओटीए) की अम्ब्रेला केंद्र प्रायोजित योजनाओं अर्थात् 'अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए योजना' (प्रधानमंत्री वन बंधु कल्याण योजना)' जिसमें प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना (पीएमएजीवाई) की योजना भी शामिल है, जो 31.03.2026 तक जारी रहेगी, को मंजूरी दी है।"

9.17. समिति पाती है कि प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना सहित प्रधान मंत्री वन बंधु कल्याण योजना जैसे केंद्रीय वित्तपोषित योजनाओं को 31 मार्च, 2026 तक जारी रखने के लिए अनुमोदित किया गया है। समिति यह भी नोट करती है कि 36428 जनजाति बहुलता वाले गांवों/एक करोड़ परिवारों जहां कम से कम 50% जनजातीय आबादी है और 500 एसटी को 2022-26 के दौरान इस योजना के लिए जनजातीय बहुलता वाले गांव को आदर्श ग्राम के रूप में समेकित रूप से विकसित करने के लिए लिया जाएगा। समिति यह नोट कर आश्चर्य व्यक्त करती है कि जनजातीय कार्य मंत्रालय 2020-21 और 2021-22 के दौरान तत्समय मौजूद टीएसएस

के लिए एससीए के अंतर्गत बजटीय आवंटन को भी खर्च नहीं कर सका, जो यह दर्शाता है कि राज्य सरकारों को शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि आदि जैसे क्षेत्रों में व्याप्त असमानता को समाप्त करने के लिए दी गई निधियां इसके बावजूद अप्रयुक्त पड़ी रही कि यह योजना 1977-78 से अस्तित्व में है। समिति नोट करती है कि 117000 ऐसे जनजातीय गांव है जहां उनकी आबादी 25 प्रतिशत या उससे अधिक है वहां विकास के विभिन्न क्षेत्रों में असमानता मौजूद है। समिति यह नोट कर दुखी है कि अनेक पूर्वोत्तर राज्यों यथा अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड जहां पिछले वर्षों के दौरान राज्य सरकारों को केंद्र सरकार से कोई निधि जारी नहीं की गई। इसी प्रकार कतिपय क्षेत्रों जैसे पेयजल और पीडब्ल्यूएस, सिंचाई और वाटर शेड, सड़क संपर्क आदि हैं जिनके अंतर्गत गत वर्ष में अत्यंत कम व्यय किया गया। इस आलोक में समिति महसूस करती है कि पीएमएएजीवाई के अभिज्ञात उद्देश्यों के साथ संशोधित योजना की निकटता से निगरानी किए जाने की आवश्यकता है। समिति चाहती है कि उसे जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा उठाए गए कदमों से अवगत कराया जाए ताकि अगले 5 वर्षों के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त किए जाएं तथा योजना के लिए निधियों का विवेकपूर्ण उपयोग किया जाए।

अध्याय - दस

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

10.1 अनुसूचित जातियों (एससी) और अनुसूचित जनजातियों (एसटी) के लिए संविधान में दिए गए विभिन्न सुरक्षोपायों और विभिन्न अन्य सुरक्षात्मक कानूनों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए 1950 में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयुक्त का कार्यालय स्थापित किया गया था। इसके अतिरिक्त, 1978 में, एक बहुसदस्यीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना की गई थी। वर्ष 1992 में ये दो संगठन सांविधिक बहु-सदस्यीय राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित किए गए थे। चूंकि अनुसूचित जनजातियों की आवश्यकताएं, समस्याएं तथा उनके अपेक्षित समाधान, अनुसूचित जातियों की समस्याओं से कहीं अधिक भिन्न थे, अतः जनजातीय विकास के लिए एक विशेष दृष्टिकोण और अनुसूचित जनजाति के अधिकारों के सुरक्षोपायों के लिए स्वतंत्र मशीनरी का होना आवश्यक समझा गया। तद्नुसार, अनुच्छेद 338 में संशोधन करके तथा संविधान (89वां संशोधन) अधिनियम, 2003 के माध्यम से संविधान में अनुच्छेद 338क का अंतर्निवेश करके दिनांक 19 फरवरी, 2004 को एक अलग राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एनसीएसटी) की स्थापना की गई थी।

10.2. आयोग के मुख्य कर्तव्य अनुसूचित जनजातियों के लिए प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों से संबंधित सभी मामलों की जांच और निगरानी करना तथा ऐसे सुरक्षा उपायों के कामकाज का मूल्यांकन करना और अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों और सुरक्षा उपायों से वंचित करने के संबंध में विशिष्ट शिकायतों की जांच करना है। आयोग के पास अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों और सुरक्षापायों के वंचन से संबंधित किसी शिकायत के बारे में पूछताछ करते समय अथवा किसी मामले, विशेषकर निम्नलिखित मामलों के संबंध में, जांच-पड़ताल करते समय सिविल न्यायालय के वाद की जांच करने के सभी अधिकार निहित हैं, अर्थातः

(क) भारत के किसी भी भाग से किसी व्यक्ति को सम्मन भेजकर उपस्थित होने के लिए बाध्य करना तथा उसे शपथ दिलाकर उससे पूछताछ करना;

(ख) किसी भी दस्तावेज की खोज और प्रस्तुति की अपेक्षा करना;

(ग) शपथ पत्रों पर साक्ष्य प्राप्त करना;

(घ) किसी न्यायालय अथवा कार्यालय से आयोग के किसी सार्वजनिक रिकार्ड अथवा उसकी प्रति की आवश्यकता;

(ड.) गवाहों और दस्तावेजों की जांच के लिए आदेश जारी करना;

(च) कोई अन्य मामला, जिसे राष्ट्रपति नियमानुसार निर्धारित करें।

10.3. भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के खंड (9) में यह प्रावधान है कि केन्द्रीय और प्रत्येक राज्य सरकार अनुसूचित जनजातियों को प्रभावित करने से संबंधित सभी प्रमुख नीतिगत मामलों पर आयोग से परामश करेगी।

10.4. आयोग अनुसूचित जनजातियों की सुरक्षा, कल्याण, विकास तथा उन्नति के संबंध में कुछ अन्य कार्यों का भी निर्वहन करेगा, अर्थातः

(क) उपाय जो वन क्षेत्रों में रहने वाली अनुसूचित जनजातियों को लघु वन उत्पाद के संबंध में स्वामित्व का अधिकार दिए जाने के लिए आवश्यक हैं;

(ख) कानून के अनुसार, खनिज संसाधनों, जल संसाधनों आदि के संबंध में जनजातीय समुदायों को सुरक्षा अधिकार देने के लिए किए जाने वाले उपाय;

(ग) जनजातियों के विकास में कमियों को दूर करना और अधिक व्यवहार्य आजीविका रणनीतियों के लिए किए जाने वाले उपाय,

(घ) विकास परियोजनाओं द्वारा विस्थापित जनजातीय समूहों के लिए राहत और पुनर्वास उपायों की प्रभावोत्पादकता को सुधारने के लिए किए जाने वाले उपाय;

(ड.) जनजातीय लोगों का भूमि से अन्य अन्तरण रोकने के लिए किए जाने वाले उपाय और उन लोगों का प्रभावी रूप से पुनर्वास करना जिनके मामले में पहले ही अन्तरण हो चुका है;

(च) वनों के संरक्षण और सामाजिक वनरोपण के लिए जनजातीय समुदायों को शामिल करने एवं अधिकतम सहयोग प्रदान करने हेतु किए जाने वाले उपाय;

(छ) पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, 1996 (1996 का 40) के उपबंधों के पूर्ण कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए किए जाने वाले उपाय;

(ज) जनजातियों द्वारा की जाने वाली झूम खेती को धीरे-धीरे कम करना और अन्ततः समाप्त करना, जिसके कारण उनकी अधिकारिता निरंतर कम होती है और भूमि तथा पर्यावरण का क्षय होता है, के लिए किए जाने वाले उपाय।

10.5. एनसीएसटी को अनुसूचित जनजातियों के सुरक्षोपाय के कार्यकरण पर भारत के राष्ट्रपति को प्रतिवर्ष रिपोर्ट देना जरूरी होता है औ रवैसे समय पर जब आयोग ऐसा

करना उचित समझे। इन रिपोर्टों को संसद के प्रत्येक सदन में रखना अपेक्षित है और इसके साथ केन्द्रीय सरकार से संबंधित सिफारिशों पर की गई कार्रवाई या की जाने वाली प्रस्तावित कार्रवाई को स्पष्ट करते हुए एक ज्ञापन भी प्रस्तुत करना होगा तथा ऐसी किन्ही सिफारिशों की अस्वीकृति के कारण, यदि कोई हों, भी बताने होंगे। एनसीएसटी द्वारा इसके सृजन से लेकर प्रस्तुत की गई रिपोर्टों की स्थिति और उन पर की गई कार्रवाई निम्नवत दी गयी हैः-

विवरण	**वर्ष**	**एनसीएसटी द्वारा भारत के माननीय राष्ट्रपति को रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तिथि**	**जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा संसद में रखी गई, की गई कार्रवाई रिपोर्ट (लोक सभा और राज्य सभा)**
पहली	2004-05 & और 2005-06	08.08.2006	31.08.2012 और 30.08.2012
दूसरी	2006-07	03.09.2008	26.04.2013 और 02.05.2013
तीसरी	2007-08	29.03.2010	08.08.2016 और 10.08.2016
चौथी	2008-09	27.08.2010	08.08.2016 और 10.08.2016
पांचवीं	2009-10	13.07.2011	08.08.2016 और 10.08.2016
जनजतीय विकास और प्रशासनके लिए सुशासन की विशेष रिपोर्ट	2012	18.06.2012	13.12.2013 और 12.12.2013
6वीं	2010-11	25.10.2013	10.4.2017. और 29.3.2017
7वीं	2011-12	20.02.2015	10.4.2017 और 29.3.2017
8वीं	2012-13	16.11.2015	10.4.2017 और 29.3.2017
9वीं	2013-14	24.05.2016	31.12.2018 और 03.01.2019
10वीं	2014-15	31.05.2016	11.02.2019 और 07.02.2019
11वीं	2015-16	28.10.2016	25.11.2019 और 28.11.2019
एपी में इंदिरा सागर पोलावरम परियोजना पर विशेष रिपोर्ट	2018*	03.07.2018	-
12वीं	2016-17*	14.11.2019	-
13वीं	2017-18*	15.01.2020	-
विस्थापित जनजातियों के पुनर्वास एवं पुन: स्थापन पर विशेष रिपोर्ट (राउरकेला स्टील प्लांट)	2020*	15.01.2020	-
14वीं	2018-19*	24.03.2021	-

* मंत्रालय में प्रकियाधीन

10.6. आयोग को सौंपे गए दायित्व को पूरा करने के लिए आयोग को किए गए बजटीय आवंटन के बारे में पूछे जाने पर समिति के साथ चर्चा के दौरान जनजातीय कार्य मंत्रालय के सचिव ने समिति को निम्नवत बताया:

> "इस साल बजट केवल 11 करोड़ ही था, इसे बढ़ाकर 12 करोड़ कर दिया गया है। हमने आयोग के अधिकारियों के साथ डिसकशन की थी। मुझे आयोग के अध्यक्ष महोदय ने बुलाया था और मैंने अपनी फाइनेंस टीम के साथ जाकर उनसे डिसकस भी किया था। हमने कहा था कि अगर सैलरीज़ और ऑफिस के अन्य खर्चे में

कोई कमी आती है तो फाइनेंस सैलरी के लिए एक्सट्रा सप्लीमेंटरी ग्रांट दे सकता है। उनका मुख्य जोर था कि जनजातीय क्षेत्रों में समस्याओं की वे कुछ स्टडीज़ कराना चाहते हैं और इसके लिए फंड दिया गया है। इस साल रिवाइज्ड एस्टिमेट में एक्सट्रा फंड दिया है ।"

10.7. उन्होंने समिति को यह भी बताया कि:

"पिछले साल वर्ष 2020-21 में जो खर्च हुआ था, वह कुल मिलाकर 8 करोड़ 60 लाख हुआ था। इस साल के लिए 11 करोड का प्रोविजन था, जिसको बढ़ाकर हमने 20 करोड़ 89 लाख कर दिया है। इस साल जो भी उनकी जरूरत थी, उसको हमने 9 करोड़ एक्स्ट्रा देकर पूरा किया है। वैसे ही अगले साल भी जो आवश्यकता होगी, वह हम देंगे। अभी तो हम 12 करोड़ दे रहे हैं, जो इस साल से 10 प्रतिशत ज्यादा है। सैलरी और बाकी एक्सपेंडिचर पर एक जनरल नियंत्रण है कि बहुत ज्यादा खर्च नहीं होना चाहिए। लेकिन, इनका जो प्रोजेक्ट वाला खर्च है, वह हम जरूर पूरा करेंगे। इनको जो भी सप्लीमेंटरी जरूरत होगी, उसको हम लोग देंगे।"

10.8. आयोग में रिक्त पदों के कारणों के बारे में आगे पूछे जाने पर, सचिव, जनजातीय कार्य मंत्रालय ने चर्चा के दौरान समिति को बताया कि:

"यह चीज हम लोगों की जानकारी में है। इस बारे में हम लोग आयोग से बराबर चर्चा करते रहे हैं। उसमें पहले एक कमी रही थी कि कुछ पदों के लिए रिक्रूटमेंट रूल में जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस रखा गया था, जैसे- आठ साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए या पी.एचडी की योग्यता होनी चाहिए, उस तरह का रूल जो उन्होंने निर्धारित कर रखा था, वैसे कैंडिडेट्स हमें नहीं मिल रहे थे। हमने दो-तीन बार एडवर्टाइज भी किया था। अब हमने उनके जो रिक्रूटमेंट रूल्स हैं, उनमें कुछ संशोधन और रिलैक्स करने का काम कर रहे हैं। रूल्स को रिलैक्स करने से कुछ हो जाएगा।"

10.9. राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना 19 फरवरी 2014 से भारत के संविधान में अनुच्छेद 338क की अंत:स्थापना करके की गई जिसे अनुसूचित जनजातियों को अधिकारों एवं सुरक्षा उपाय से वंचित किए जाने से संबंधित किसी शिकायत की जांच करते समय सिविल न्यायालय की सभी शक्तियां प्राप्त हैं। तथापि, समिति यह नोट कर व्यथित है कि आयोग की रिपोर्टों 2008 से जनजातीय कार्य मंत्रालय में प्रक्रिया के अधीन हैं तथा आज तक उन्हें संसद में प्रस्तुत नहीं किया गया है। समिति चाहती है कि इस मामले में तेजी लाई जाए तथा रिपोर्टों को अविलंब प्रस्तुत किया जाए। इसके अलावा समिति नोट पर आश्चर्य व्यक्त करती है कि आयोग में अनेक पद खाली पड़े हैं। समिति यह समझने में असमर्थ है कि श्रम शक्ति के अभाव में आयोग कैसे कार्य करेगा तथा भर्ती में विलंब क्यों हुआ है। इसलिए समिति चाहती है कि रिक्तियों को शीघ्र भरा जाए क्योंकि इनमें आगे विलंब करने का कोई कारण नहीं है क्योंकि भर्ती नियमों को उचित रूप से संशोधित कर दिया गया है। समिति की राय यह भी है कि आयोग के लिए बजट आवंटन की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता है ताकि आयोग का कार्यकरण निधियों की कमी

के कारण प्रभावित न हो। समिति सिफारिश करती है कि आयोग के लिए वार्षिक प्रतिवेदनों, अधिकारियों की भर्ती और बजट आवंटन के बारे में तत्काल आवश्यक कार्रवाई की जाए।

नई दिल्ली; **रमा देवी,**

11 मार्च, 2022

20 फाल्गुन, 1943 (शक) **सभापति,**

सामाजिक न्याय और अधिकारिता

संबंधी स्थायी समिति